नव प्रदेश

RNI NO.CHHIN/2012/41806 रायपुर, शनिवार 27 नवंबर 2021, कृष्ण पक्ष सप्तमी, विक्रम संवत-2077 वर्ष-10 अंक-281 पृष्ठ-08 मूल्य-3 रुपए रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, जबलपुर व रांची से एक साथ प्रकाशित www.navpradesh.com

आज बेबाक

अपनी ही टीम के खिलाफ दे दना दन गोल दागने के लिए यदि कोई पुरस्कार दिया जाता तो शर्तिया वह पुरस्कार नवजोत सिंह सिद्धु के हिस्से में आता। वे कलयुग के कालीदास है। जो जिस डाल पर बैठते है उसपर ही कुल्हाड़ी चलाते है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद तात्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ उन्होने मोर्चा खोला था और कैप्टन को कांग्रेस से बाहर करा दिया था। अब उन्होने मौजूदा मुख्यमंत्री चन्नी को चकरघिन्नी बना दिया है। अपनी ही सरकार के खिलाफ सिद्धु ने भूख हड़ताल की चेतावनी देकर बता दिया है कि गुरू फिर शुरू हो गया है।

सूर्योदय

उदय : 6:53 प्रात:

अस्त : 5:13 संध्या

जनसंख्या

विश्व : 7,909,315,350

भारत : 1,399,365,150

बाजार

सेंसेक्स : 57,107.15

निफ्टी : 17,026.50

गोल्ड : 47,000 प्रति 10 ग्राम

चांदी : 63,100 प्रति किग्रा

अण्डा दर : 4.70 प्रति नग

दिवस

लीप वर्ष: 27 नवंबर हिंदी कैलेंडर के अनुसार वर्ष का 331 वॉ और लीप वर्ष मे 332 वॉ दिन है। साल मे अभी और 34 दिन बाकी है। अधिवर्ष (अंग्रेजी:लीप वर्ष), ऐसा वर्ष होता जिसमे एक दिन या एक माह अधिक होता है। इसका उद्देश्य कलेण्डर या पंचांग के वर्ष को खगोलीय वर्ष के साथ बनाकर रखना है। कलेण्डर या पंचांग वर्ष में पूरे पूरे दिन ही हो सकते है लेकिन खगोलीय घटनाओं को लगने वाला समय पूरे पूरे दिनों में विभाजित नहीं हो पाता है।

कोरोना के 'बोत्सवाना वेरियेंट' से दुनियाभर में मचा हड़कंप

नए वेरियेंट B.1.1.529 ने दुनिया फिर हुई बेचैन

■ अकेले बोत्सवाना में इसके 32 म्यूटेशन मिले हैं जिससे वैज्ञानिकों की बढ़ी चिंता

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के प्रकोप से थोड़ी राहत मिलने पर जिंदगी धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही है, लेकिन एक बार फिर से बड़े खतरे की आहट सुनाई देने लगी है। रूप बदल-बदलकर दुनिया में कई बार तबाही ला चुके इस वायरस ने एक बार फिर अपने चेहरा बदला है जिसे वैज्ञानिक बेहद घातक मान रहे हैं। आज जब कोरोना वायरस के फैले दो साल होने वाले हैं तब भी इसके म्यूटेशन पर रोक नहीं लग पाना दुनियाभर के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। इस बीच 'बोत्सवाना वेरियेंट' के प्रति वैज्ञानिक काफी सशंकित हैं और दुनिया को सतर्क कर रहे हैं। उधर, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी नए वेरियेंट के खतरे की आशंका के मद्देनजर चौकन्ना हो गया है। तो क्या दुनिया में कोविड-19 महामारी की नई लहर आएगी?

कोरोना के किस वेरियेंट से फिर मच गई खलबली : कोरोना के नए वेरिएंट का नाम B.1.1.529 है जिसे 'बोत्सवाना वेरियेंट' भी कहा जा रहा है। यह अफ्रीकी देश द. अफ्रीका में सामने आया है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान- नैशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल ■ शेष पृष्ठ 6 पर

दुनियाभर में 100 से ज्यादा मरीज आए सामने

दुनियाभर में इस वेरियेंट के अब तक 100 से ज्यादा मरीज मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा द. अफ्रीका में 100 केस सामने आए हैं। इसके अलावा, बोत्सवाना में करीब 10, हॉन्गकॉन्ग में दो जबकि इजरायल में एक मरीज मिला है। हालांकि, हड़कंप इसलिए मचा है क्योंकि इसके बहुत तेजी से फैलने की आशंका जताई जा रही है।

देश में टीके का पर्याप्त भंडार

■ केंद्र ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के निर्यात की अनुमति दी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में कोरोना वायरस टीके की पर्याप्त भंडार होने के बाद कोविशील्ड और कोवैक्सीन के निर्यात की अनुमति दे दी है। हालांकि, निर्यात किये जाने वाले कोविड टीकों की मात्रा पर सरकार हर महीने फैसला करेगी ताकि देश में उसकी उपलब्धता में कोई कमी नहीं होने को सुनिश्चित किया जा सके। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

सरकार द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसाईआई) को कोविशील्ड की 50 लाख खुराक नेपाल, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश और मोजम्बिक निर्यात करने की अनुमति दिए जाने के साथ भारत ने हाल में संयुक्त राष्ट्र समर्थित 'कोवैक्स' को कोविड टीकों की आपूर्ति बहाल की है। कोविशील्ड टीकों की खेप इस सप्ताह नेपाल और ताजिकिस्तान पहुंचेगी।

डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, नायब तहसीलदार सहित 171 पदों पर होगी भर्ती

■ सीजीपीएएसी ने जारी किया नोटिफिकेशन

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) ने राज्य सेवा अधिकारियों के 171 पदों पर भर्ती के लिए शुक्रवार को विज्ञापन जारी किया है। इनमें डिप्टी कलेक्टर (डीसी), डीएसपी, नायब तहसीलदार समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अभ्यर्थी 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आयोग की वेबसाइट में अपना परीक्ष फार्म भर सकते है। प्रारंभिक परीक्षा 13 फरवरी 2022 को तथा मुख्य परीक्षा 26 से 29 मई 2022 तक होगी। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसम्बर से शुरू होगी जो कि 30 दिसम्बर तक चलेगी। आवेदन में त्रुटि सुधार 31 दिसंबर से 4 जनवरी 2022 तक किया जा सकता है। वहीं सशुल्क सुधार ■ शेष पृष्ठ 6 पर

इन पदों पर इतनी भर्ती

छग लोक सेवा आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डीसी 30, डीएसपी 30, नायब तहसीलदार 30, छग राज्य वित्त सेवा अधिकारी 10, जिला आबकारी अधिकारी 3, श्रम पदाधिकारी 1, रोजगार अधिकारी 2, सहायक संचालक/ जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी 3, जिला सेनानी नगर सेना 1, सहायक संचालक वित्त विभाग 3, सहायक संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग 11, अधीक्षक जिला जेल 1, मुख्य कार्यपालन अधिकारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 1, बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग 8, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवाद 12, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख 10, नायब तहसीलदार 30, आबकारी उप निरीक्षक 5, उप पंजीयक 1, सहायक निरीक्षक/सहकारिता विकास अधिकारी 6, बैकलॉग 1 और सहायक जेल अधीक्षक 17 समेत 171 पदों पर भर्ती की जाएगी।

रेलवे और पीडब्ल्यूडी ठेकेदार के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई, ओड़िशा से जुड़े तार

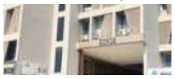

रायपुर/नवप्रदेश। रेलवे और पीडब्लूडी से जुड़े ठेकेदार अंकित अग्रवाल के घर और ऑफिस में आयकर विभाग ने शुक्रवार अल सुबह दबिश दी। सुबह से लेकर रात 8 बजे तक अधिकारियों की टीम दस्तावेजों को खंगालने में जुटी हुई थी।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के आयकर विभाग में नए मुख्य आयुक्त के आते ही हलचल तेज हो गई है। राजधानी के विधानसभा रोड स्थित लक्जोरा सोसाइटी में अंकित अग्रवाल का बी-ब्लॉक के फ्लैट नं- 102 में निवास है। अंकित रेलवे और पीडब्लूडी में ठेकेदारी करते हैं। शुक्रवार को सुबह करीब 4 बजे आयकर के 10 अधिकारियों की टीम उनके घर पहुंची और घर और दफ्तर को एक साथ अपने कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक घर और ऑफिस के दस्तावेजो, बैंक डिटेल्स, डिजिटल ड्राइव, कर्मचारियों की लिस्ट, कम्प्यूटर और लेपटॉप की जांच अधिकारी कर रहे हैं। जांच के दौरान किसी को अंदर और बाहर आने-जाने की अनुमति नहीं है। अफसरों ने अग्रवाल के परिजनों से भी सोने-चांदी के जेवरात सहित दूसरी प्रॉपर्टी के संबंध में भी जानकारी ले रहे हैं। आईटी अफसरों की ओर से अब तक छापेमार कार्रवाई को लेकर किसी तरह का अधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। जांच देर शाम तक चलने की उम्मीद लगाई जा रही है। विभाग को लंबे समय से अंकित अग्रवाल द्वारा टैक्स में हेर फेर किये जाने की खबर मिल रही थी। पिछले 1 सप्ताह से रायपुर के कई कारोबारियों के ठिकानों में भी छापे पड़े हैं। इस छापेमार कार्रवाई को लेकर राजधानी के कारोबार जगत में हड़कंप मच गया है।

बर्निंग ट्रेन : दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, 4 बोगी जलकर खाक

रायपुर/नवप्रदेश। उधमपुर से दुर्ग जा रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस में आग लगने से करीब चार एसी कोच जलकर ख़ाक हो गए। हालाकिं जान माल की हानि नहीं हुई लेकिन चलती ट्रेन में आग से यात्रियों में भगदड़ मच गई थी।

शुक्रवार शाम मध्यप्रदेश के मुरैना के हेतमपुर स्टेशन के पास सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंची थी कि इस बीच ट्रेन की एक एसी बोगी से आग की लपटें उठने लगी। आग लगने की जानकारी यात्रियों को होते ही ट्रेन में ही भगदड़ मच गई। कुछ यात्रियों ने ट्रेन को जंजीर खींचकर रोका। आग लगने के बाद ट्रेन हेतमपुर स्टेशन के करीब जाकर रुकी, तब तक दूसरे बोगियों में भी आग की लपटे पहुँच चुकी थी। यात्रियों ने ट्रेन के रुकते ही कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने चार बोगियोपन को अपने लपेट में ले लिया।

लोको पायलट ने आग लगने की सुचना हेतमपुर स्टेशन मास्टर को दी। जिसके बाद आग को बुझाने के लिए मुरैना व धौलपुर से फायरब्रिगेड भेजी गई। रेलवे की टीम ने आग लगे कोचों को अन्य कोचों ■ शेष पृष्ठ 6 पर

सत्ता और संगठन के बीच तालमेल का नमूना है...

सन्नी अग्रवाल का निलंबन

रायपुर नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ कर्मकार मंडल के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता सन्नी अग्रवाल को लेकर कांग्रेस के प्रदेश संगठन और सत्ता के बीच तालमेल का अभाव है। कांग्रेस संगठन ने राजीव भवन में अभद्रता करने के आरोप में सन्नी अग्रवाल को लगभग एक माह पहले कांग्रेस से निलंबित कर दिया था। किन्तु कांग्रेस के सदस्य न होते हुए भी सन्नी अग्रवाल का प्रदेश कर्मकार मण्डल का अध्यक्ष बने रहना इस बात को सिद्ध कर रहा है कि प्रदेश कांग्रेस संगठन और सत्ता के बीच कहीं न कहीं संचार प्रणाली में दोष उत्पन्न हो गया है, और राजनीति में इसे तालमेल का अभाव कहा जाता है।

इस संदर्भ में जब संगठन के अध्यक्ष मोहन मरकाम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन के विरूद्ध कार्य करने के लिए सन्नी अग्रवाल को हमने तत्काल निलंबित कर दिया था वह अभी भी कायम है उन्हें सरकार के पद से क्यों नहीं हटाया गया है। इसका जवाब सरकार दे सकती है, मैं नहीं दे सकता। जब उन्से यह पुछा गया की क्या सरकार और आपके बीच में तालमेल का अभाव है तो उन्होंने कहा कि मैं संगठन चला रहा हूं मैं संगठन के बारे मे बता सकता हूं कि उसकी कार्रवाही सही है सरकार क्या कर रही है सरकार ही बता पायेगी।

उल्लेखनीय है कि गत माह राजीव भवन में कांग्रेस कमेटी की एक बैठक के पूर्व सन्नी अग्रवाल और कांग्रेस कमेटी के महासचिव अमरजित चावला के बीच किसी बात को लेकर तू-तू, मैं-मैं हो गई थी और सन्नी अग्रवाल ने एक अमरजीत चावला ■ शेष पृष्ठ 6 पर

दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्ति के खिलाफ केंद्र और राकेश अस्थाना को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया जिसमें गुजरात कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा गया था। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की बेंच ने केंद्र सरकार और राकेश अस्थाना को नोटिस जारी किया और एनजीओ 'सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन' की याचिका पर उनसे दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

संविधान दिवस... राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में संविधान दिवस का आयोजन

भारत ने लिखी है लोकतांत्रिक विकास की अद्भुत गाथा : राष्ट्रपति

नई दिल्ली। संविधान की 72 वीं वर्षगांठ के मौके पर संसद के केन्द्रीय कक्ष में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में संविधान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाकि 72 साल पहले इसी सेंट्रल हॉल में हमारे संविधान निर्माताओं ने इस दस्तावेज को भारत के सुनहरे भविष्य के लिए स्वीकार किया था। करीब सात दशक की छोटी सी समयावधि में ही भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक विकास की अद्भुत गाथा लिख दी है। इसने पूरी दुनिया को चकित कर दिया है। उन्होंने कहाकि मैं यह मानता हूं कि भारत की यह विकास यात्रा, हमारे संविधान के बल पर ही आगे बढ़ती रही है।

संविधान निर्माताओं को किया नमन: राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि आजादी के समय, देश के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को यदि ध्यान में रखा जाए तो भारतीय लोकतंत्र मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा सकता है। इस उपलब्धि के लिए हम संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और जन-गण-मन की बुद्धिमत्ता को नमन करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे संविधान में वे सभी उदात्त आदर्श समाहित हैं जिनके लिए दुनिया के लोग भारत की ओर सम्मान और आशा भरी दृष्टि से देखते रहे हैं।

हमसे अन्य लोकतंत्रों ने बहुत कुछ सीखा

राष्ट्रपति ने कहाकि हमारे देश में न केवल महिलाओं को आरम्भ से ही मताधिकार प्रदान किया गया बल्कि कई महिलाएं संविधान सभा की सदस्य थीं और उन्होंने संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया। पश्चिम के कुछ विद्वान कहते थे कि भारत में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था विफल हो जाएगी। परन्तु यह प्रयोग न केवल सफल रहा, अपितु समय के साथ और मजबूत हुआ है। यहां तक कि अन्य लोकतंत्रों ने भी इससे बहुत कुछ सीखा है। राष्ट्रपति ने कहाकि मुझे प्रसन्नता है कि आज संविधान सभा की चर्चाओं तथा संविधान के कैलग्रिाफ्ड वर्जन और अद्यतन संविधान के डिजिटल संस्करण जारी कर दिए गए हैं। इस प्रकार, टेक्नॉलॉजी की सहायता से, ये सभी अमूल्य दस्तावेज़ सबके लिए सुलभ हो गए हैं।

संविधान की प्रस्तावना का हुआ पाठ

संबोधन से पहले राष्ट्रपति कोविंद ने संविधान बनाने वाली संविधान सभा की चर्चाओं के डिजिटल संस्करण को भी जारी किया। उन्होंने संविधान की मूल प्रति का डिजिटल संस्करण अद्यतन संविधान भी जारी किया। इसके अलावा उन्होंने संविधान पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी पोर्टल का शुभारंभ भी किया। संबोधन समाप्त होने के बाद उन्होंने संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया और केन्द्रीय कक्ष में मौजूद सभी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया।

टॉम लाथम और विल यंग की धांसू फिफ्टी से न्यूजीलैंड मजबूत

कानपुर। सलामी बल्लेबाजों विल यंग और टॉम लाथम की उम्दा अर्धशतकीय पारियों के दम पर न्यूजीलैंड ने पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पहली पारी में बिना किसी नुकसान के 129 रन बना लिए। लाथम ने 165 गेंदों में 4 चौके की मदद से नाबाद 50 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि विल यंग 180 गेंदों में 12 चौके की मदद से नाबाद 75 रन बनाए हैं। श्रेयस अय्यर के पदार्पण टेस्ट में शतक को छोड़कर दूसरे दिन का खेल न्यूजीलैंड के नाम रहा। इससे पहले तेज गेंदबाज टिम साउदी के पांच विकेट की मदद से भारत को 345 रन पर आउट कर दिया था।

न्यूज गैलरी

अजजा आयोग में मना संविधान दिवस

भाटापारा छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में शुक्रवार को संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर गणेश सिंह धुव सदस्य, केएस ध्रुव सचिव, एमके भुवाल सहा. अनुसंधान अधिकारी एवं आयोग के समस्त अधिकारी, कर्मचारीगण उपस्थित रहे। आयोग के सदस्य के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका का वाचन कराया गया। इस अवसर पर भारत के संविधान में निहित प्रावधानों का उल्लेख करते हुए सभी जाति, धर्म के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों एवं हितों का ध्यान रखते हुए आयोग के द्वारा उचित न्याय करने की बात कही गई। गणेश सिंह धुव सदस्य के द्वारा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इसका विधिवत पालन किये जाने की शपथ दिलाई गई।

बिजराडीह स्कूल में दिलाई गई शपथ

भाटापारा। शुक्रवार को शासकीय प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला बिजराडीह में संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संविधान के प्रस्तावना का वाचन कराया गया और मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कृष्ण कुमार ध्रुव, उपाध्यक्ष परस यदु, प्राथमिक शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष घनश्याम यदु विशेष रूप से उपस्थित रहे। साथ कि मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक महेश शर्मा, राजेश कुमार साहू, मोहितदास मानिकपुरी, प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक जीतराम वर्मा, रजेश्वरी ठाकुर, राज कुमारी साहू, कविता साहू, अनिरुद्ध लहरे के अलावा कुछ गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर दोनों विद्यालय में पौष्टिक आहार सोया चिक्की का भी वितरण किया गया।

रूदा एनीकट-रपटा सहित अन्य सिंचाई योजनाओं का भूमिपूजन आज

दुर्ग। जिले में प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त अनेक सिंचाई योजनाओं में रूदा एनीकट-रपटा, भेण्डरवानी जलाशय नहर जीर्णोद्धार, बोरई डायवर्सन जीर्णोद्धार, भेण्डसर नाला जलाशय नहर जीर्णोद्धार एवं उरला डायवर्सन नहर संरचना निर्माण हेतु आज ताम्रध्वज साहू मंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा भूमिपूजन ग्राम रूदा रूदा एनीकट स्थल पर किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षा शालिनी रिवेन्द्र सिंह यादव अध्यक्ष जिला पंचायत दुर्ग, विशिष्ट अतिथियों में योगिता चंद्राकर सभापति कृषि समिति जिला पंचायत दुर्ग, माया बेलचंदन सदस्य जिला पंचायत दुर्ग, देवेन्द्र देशमुख अध्यक्ष जनपद पंचायत दुर्ग, झमित गायकवाड़ उपाध्यक्ष जनपद पंचायत दुर्ग, हेम कुमारी देशमुख सदस्य जनपद पंचायत उपस्थित होंगे।

धान की कस्टम मिलिंग हेतु राईस मिलों का पंजीयन

दुर्ग। उपार्जित कस्टम मिलिंग हेतु राईस मिलों का पंजीयन किया जाना है। खाद्य विभाग की वेबसाइट httpÑ//khadya.cg.nic.in में उपलब्ध लिंक धान एवं चावल उपार्जन-ऑन लाईन 2020-21 के माध्यम से राइस मिलर्स द्वारा नवीन मिल पंजीयन संबंधी आवेदन तैयार किया जा सकता है। कस्टम मिलिंग हेतु राइस मिलर्स पंजीयन एवं अन्य सुविधाओं के लिए राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का अवलोकन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी हेतु जिला खाद्य कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

निकाय निर्वाचन के सुचारू रूप से संचालन के लिए अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी

विभिन्न दायित्वों के निर्वहन के लिए नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त

मतदान केन्द्र एवं मतदाता सूची संबंधी कार्य के लिए एसडीएम दुर्ग, पाटन को नोडल अधिकारी एवं अधीक्षक भू-अभिलेख सुरेन्द्र श्रीवास्तव व परियोजना अधिकारी शैलेष भगत को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। नाम निर्देशन से संबंधित कार्य, सवीक्षा, प्रतीक चिन्ह के आबंटन संबंधी कार्य के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री खेमलाल वर्मा को नोडल अधिकारी एवं व्यख्याता अजय तिवारी को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। राजनीतिक दलों को सूचना देने बैठकों संबंधी कार्य के लिए वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी श्री कुठोर सिंह को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। यातायात व्यवस्था के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री अनुभव शर्मा को नोडल अधिकारी एवं सहायक खाद्य अधिकारी टी.सी. क्षत्रिय को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है।

नव प्रदेश संवाददाता

दुर्ग। नगरीय निकाय निर्वाचन के अंतर्गत नगर निगम भिलाई, रिसाली, भिलाई-चरौदा एवं नगर पालिका परिषद जामुल व नगर पंचायत उतई में निर्वाचन कार्य के सुचारू रूप से संचालन एवं विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें कानून व्यवस्था, सेक्टर अधिकारी, जोनल अधिकारी की नियुक्ति के लिए एडीएम सुश्री नुपुर पन्ना राशि को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके लिए एसडीएम राजस्व दुर्ग, धमधा, पाटन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर एवं ग्रामीण को सहायक नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है।

मतदान दल के गठन एवं अवकाश स्वीकृति संबंधी कार्य के लिए अपर कलेक्टर पदमिनी भोई को नोडल अधिकारी एवं जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी एलबी सिंह को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। आदर्श आचार संहिता के पालन, संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत् कार्यवाही के लिए नगरीय निकाय के आयुक्तों को जिम्मेदारी दी गई है। प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए सीईओ जिला पंचायत अश्वनी देवांगन को नोडल अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास सिंह बघेल व संयुक्त कलेक्टर प्रियंका वर्मा को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। मतगणना, मतदान संबंधी वितरण, मतदान दलों के गठन के लिए आयुक्त नगर निगम दुर्ग हरेश मंडावी को नोडल अधिकारी एवं एसडीएम विनय पोयाम को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है।

किसी प्रकार की शिकायत एवं सहायता के लिए संयुक्त कलेक्टर श्री मुकेश रावटे को नोडल अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास प्रियवंदा रामटेके व समाज शिक्षा संगणक समाज कल्याण अंजनी भगत को सहायक नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। निर्वाचन संबंधी विडीयोग्राफी कार्य के लिए मुकेश रावटे संयुक्त कलेक्टर को नोडल अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। सेवा निर्वाचकों एवं अधिकारी, कर्मचारियों के डाक-मतपत्र के प्रेषण संबंधी कार्य के लिए संयुक्त कलेक्टर प्रियंका वर्मा को नोडल अधिकारी एवं समाज कल्याण विभाग के डोनर प्रसाद ठाकुर एवं परिवीक्षा अधिकारी कमलेश पटेल को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

संविधान के हर शब्द में भारत की एकता की आत्मता बसी : श्रीवास्तव

नव प्रदेश संवाददाता

दुर्ग। संविधान दिवस के अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग के सभागार में राजेश श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग की उपस्थिति में न्यायिक अधिकारियों के द्वारा संविधान की प्रस्तावना को सामुहिक रूप से पढा गया तथा संविधान की प्रस्तावना का पठन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के कार्यालय न्याय सदन में भी सामूहिक रूप से पढा गया। संविधान दिवस के अवसर पर न्यायाधीश द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि भारत का संविधान भारत के प्रत्येक व्यक्ति तथा नागरिकों के अधिकारों का व्यक्त करने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा का वचन प्रदान करने वाले एक पवित्र ग्रंथ तथा अमूल्य धरोहर है। भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संचालन में भारत का संविधान अपनी अतुलनीय भूमिका अदा कर रहा है। क्योंकि लोकतंत्र के विकास एवं नए आयामों को प्राप्त संविधान से ही किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक महासागर की भांति है जिसमें भारतीयों भारतीयता की एकरूपता की पहचान होती है। और भारत का संविधान राष्ट्रीयता को एकता के साथ परिपूर्ण करता है। संविधान के हर शब्द में भारत की एकता की आत्मता बसी हुई है। इसलिए हम सब संविधान के प्रति सम्मान आदर तथा उसमें कथित आदर्शों के प्रति सदैव प्रतिवद्धता रखेंगे। संविधान दिवस के अवसर पर सेन्ट थामस कालेज में एवं पुलिस अकादमी दुर्ग में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें राहूल शर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग सम्मिलित होकर संविधान की उद्देशिका का वर्णन कर बताया कि संविधान विभिन्न जाति समुदाय एवं विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा एवं सहयोग विकसित करता है।

कलापरम्परा स्वर्ण जयंती पर 50 कलाकार-साहित्यकार हुए सम्मानित

भिलाई। छत्तीसगढ़ की लोककला,साहित्य एवं संस्कृति के लिए समर्पित संस्था कलापरम्परा द्वारा प्रति सप्ताह ऑनलाइन कवि सम्मेलन किया जाता है। कार्यक्रम की 50वीं कड़ी को स्वर्णजयंती के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश के 50 कलाकारों एवं साहित्यकारों को कलापरम्परा कलारत्न एवं साहित्यरत्न से सम्मानित किया गया। कलापरम्परा-कलाबिरादरी संस्थान के बैनर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विश्वप्रसिद्ध पंडवानी गायिका डॉ. तीजन बाई थी। अध्यक्षता संस्थान के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. डीपी देशमुख थे। अतिविशिष्ट अतिथि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. विनय पाठक, पद्मश्री डॉ.आर एस बारले, विशिष्ट अतिथि भाषाविद डॉ. सत्यभामा आडिल, डॉ.चितरंजन कर, डॉ. देवधर महन्त एवं राजभाषा आयोग सचिव डॉ.अनिल भतपहरी थे। इस अवसर पर डॉ.तीजन बाई ने सम्मानित कलाकारों एवं साहित्यकारों को शुभकामनाएं देते हुए आशीर्वचन में कहा कि कला किसी भी रूप में एक से दूसरी जगह जाती है तो अपार प्रसन्नता एवं सुखी मिलती है। अध्यक्षीय उदबोधन में डॉ. डीपी देशमुख ने पद्मविभूषण डॉ. तीजन बाई को भारत रत्न दिए जाने की अपेक्षा जाहिर की जिसका ऑनलाइन उपस्थिति दे रहे रचनाकारों-कलाकारों ने ध्वनिमत से सराहना की। संस्थान के प्रदेश महासचिव एवं कार्यक्रम संयोजक गया प्रसाद साहू 'रतनपुरिहा' ने आयोजन को कोरोना काल में भी निरंतर जारी रखने की बात कही। उन्होंने इस दौर में दिवंगत हुए कलाकारों एवं रचनाकारों को श्रंद्धाजली अर्पित की। कार्यक्रम का संचालन प्रादेशिक कोषाध्यक्ष दिनेश पाण्डेय एवम गयाप्रसाद साहू ने एवम आभार प्रदर्शन प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ.दीनदयाल साहू ने किया।

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र-202111100700247//अ-06/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अजय कुमार पिता बसंत कुमार सोनी निवासी ग्राम सुभाष नगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 767/182, 767/187, 766/98, रकबा 0.003, 0.003, 0.006 हे. भूमि जो कि आवेदक/शामिलात सखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार दिलिप सुषमा ध.प. बसंत कुमार की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 15.12.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 23.11.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई के न्यायालय में मामला

क्रमांक: 202111101000026/202111101000026

विषय: अ-6 सन्- 2020-2021

मामले की श्रेणी-राजस्व

कोहका प.ह.न. 00019 (हे.)

पक्षकारों का विवरण- आवेदक पक्षकार - राजू काशीराम पाटिल / अनावेदक पक्षकार -

ईश्तहार

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजू काशिराम पाटिल पिता के बी पाटिल निवासी शांति नगर सुपेला भिलाई तह. व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कोहका प.ह.न 19 रा.नि.म कोहका तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि ख.न पुराना 451/42, 451/43, रकबा 0.014, 0.014 हे. नया खसरा नं. 5337 व 5338 बना वर्तमान राजस्व अभिलेख विक्रेता प्रभा बाई प्रति प्रभाकर के नाम पर दर्ज है। जो त्रुटिपूर्ण है वर्तमान में आवेदिका की माता क्रेता वत्सला बाई पति के.बी.पाटेल की मृत्यु दिनांक 24/05/2006 को हो गया है। मृत्यु उपरांत आवेदक स्वयं अपना एवं अपने पुत्र/पुत्री का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने एवं वर्तमान अभिलेख में त्रुटि सुधार करने व मृतक का नाम राजस्व अभिलेख से विलोपित कर वैध वारिसानों का नाम दर्ज करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त भूमि का नामांतरण किए जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को उजर दावा हो सुनवाई तिथि दिनांक 20.12.2021 तक या उसकेपूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 08.11.2021 को जारी किया जाता है।

अति. तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई के न्यायालय में मामला

क्रमांक: 202111101000128/202111101000128

विषय: अ-6 सन्- 2020-2021

मामले की श्रेणी-राजस्व

ढौर प.ह.न. 00017 (हे.)

पक्षकारों का विवरण- आवेदक पक्षकार - दुलारी साहू / अनावेदक पक्षकार -

ईश्तहार

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अध्यक्ष अमिन माता महिला मण्डल ग्राम ढौर दुलारी साहू पिता/पति/विभाग खेदू राम साहू पता ढौर द्वारा ग्राम ढौर प.ह.न 17 रा.नि.म जामुल तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि ख.न पुराना 1436 रकबा 1.27 हे. में से 0.050 हे. कबीरपंथ ग्राम ढौर को सद्गुरू कबीर की दया एवं पंथ श्री प्रकाश मुनि नाम साहेब की कृपा से सन् 2011 में अमिन माता महिला मण्डल कबीर पंथ युवा मंण्डल का गठन हुआ जिसे दिया गया है। जिसका पट्टा नहीं बना है। उक्त जमीन का पट्टा बनाएं जाने बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त भूमि का नामांतरण किए जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को उजर दावा हो सुनवाई तिथि दिनांक 15.12.2021 तक या उसकेपूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 26.11.2021 को जारी किया जाता है।

अति. तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र- 202111103300107/अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक/ आवेदिक चिराग चौहान पिता/पति स्व. गिरीश चौहान निवासी ग्राम अहेरी पोस्ट ढौर तह. धमधा मौजा ग्राम करहीडीह प.ह.नं. 49 रा.नि.मं. .... तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 286/16 रकबा 0.011 हे. भूमि गिरीश चौहान के नाम पर दर्ज है। भूमिस्वामी दिनांक 25/06/2021 की मृत्यु हो जाने के कारण वारिसानों का नाम दर्ज करने आवेदन पेश किया गया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 10.12.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 24.11.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

मामला क्र. 202111100700280//अ-27/वर्ष 2021-22

ईश्तहार

(धारा 178 प्रारूप ख)

क्योंकि मौजा रिसाली तह. व जिला दुर्ग के भूमिस्वामी भूपेन्द्र सिंह क्षत्रीय आ. नारायण सिंह क्षत्रीय अन्य निवासी नेहरू नगर पश्चिम भिलाई तह. व जिला दुर्ग ने निम्नांकित अनुसूचि में निर्दिष्ट खाते के अपने भाग के विभाजन के लिए आवेदन किया है एवं क्यों कि उक्त खाते का बंटवारा किया जाना प्रस्तावित हुआ है एवं सुनवाई का दिनांक 15/12/21 स्थान तहसील दुर्ग पर दिन 11:00 बजे नियत किया गया है। उक्त खाते में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे निश्चित दिनांक को या तो स्वतः अथवा किसी अभिभाषक अथवा प्रतिनिधि द्वारा हाजिर हों एवं अपने आक्षेपों यदि कोई हो तो पेश करें। उपरोक्त तिथि एवं स्थान पर हाजिर नहीं होने पर एवं आक्षेपों को पेश नहीं कर पाने की स्थिति में किसी आक्षेप पर विचार नहीं किया जाएगा।

खाते का विवरण

सर्वेक्षण संख्यांक/ भू-खंडांक- 21/12

क्षेत्रफल - 0.13 हे.

भूराजस्व 1.00/-

आज दिनांक 24.11.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अति. तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र./अ-6/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सौरभ रायका पिता स्व. श्री भगवति प्रसाद रायका निवासी 38/4 नेहरू नगर पूर्व भिलाई तह. व जिला दुर्ग द्वारा इस न्यायालय में आवेदन पेश किया गया है कि अपने भूमिस्वामी हक भूमि ग्राम खपरी प.ह.न 26 रा.नि.मं दुर्ग-1 तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 61/5, 62/1 62/3, 62/5, 63/1 शामिल नं. 63/3, 63/4, 63/5, 64/1 कुल खसरा 12 कुल रकबा 3.46 हे. भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेखों में भगवति प्रसाद रायका एवं अन्य के नाम दर्ज है। यह कि भगवति प्रसाद रायका का स्वर्गवास दिनांक 09/08/21 को हो गया है। जिसमें मृतक खातेदार का नाम विलोपित कर वारिसानों का नाम वसीयत के आधार पर फौती नातांकरण किए जाने हेतु आवेदन इस न्यायालय में पेश किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत दिनांक 06.11.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 16.11.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अति. तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय तहसीलदार भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)

व्यक्तिगत सूचना

रा.प्र.क्र. 202108101000171/590 /अ-06/वर्ष 2020-21

प्रति, श्रीमती आज्ञा कौर पति निरपाल सिंह निवासी वैशाली नगर भिलाई तह. व जिला दुर्ग छ.ग.

पक्षकार पवन कुमार सोनी पिता ओम प्रकाश सोनी निवासी- रामनगर सुपेला भिलाई तह. व जिला दुर्ग।

विरूद्ध

अनावेदक- श्रीमती आज्ञा कौर पति निरपाल सिंह निवासी वैशाली नगर भिलाई तह. व जिला दुर्ग छ.ग.

आपको सूचित किया जाता है कि आवेदक पवन कुमार सोनी पिता ओम प्रकाश सोनी निवासी सुपेला भिलाई द्वारा ग्राम कोहका प.ह.नं. 19 रा.नि.मं. कोहका तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामीहक की भूमि खसरा नं. 7099 रकबा 0.010 हे. / 1599 वर्गफीट भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर विक्रेता श्रीमती आज्ञा कौर पति निरपाल सिंह निवासी वैशाली नगर भिलाई से क्रय किया है कि नामांतरण किए जाने बाबत् आवेदन पत्र मय बैनामे की छाया प्रति प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त भूमि का नामांतरण किए जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को उजर दावा हो सुनवाई तिथि दिनांक 09.12.2021 तक या उसकेपूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 26.11.2021 को जारी किया जाता है।

मुहर — **तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय नजूल जांच अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र //अ-20(1)/ वर्ष 2020 -21

आवेदिका रक्षा शर्मा पिता डा. नागेन्द्र शर्मा निवासी ब्राम्हणपारा दुर्ग द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि दुर्ग में स्थित मोहल्ला ब्राम्हणपारा नजूल भूमि शीट क्रमांक 29 ए भूखण्ड क्रमांक 20 क्षेत्रफल 56 वर्गमीटर आवासीय/ व्यवसायिक भूखण्ड स्थाई नजूल पट्टे पर उन्हे प्राप्त है जिसकी पट्टा अवधि 31/03/2032 है। छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय माहनदी भवन, मंत्रालय रायपुर के पत्र क्र. एफ 04-07/ 7-1/ 2019 दिनांक 11.09.2019 एवं 26.10.2019 में जारी निर्देशों के अनुक्रम में धारक/पट्टेदार द्वारा शासन की शर्तो के अनुरूप उक्त भूखण्ड का भूमि स्वामी अधिकार प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतएव् एतद द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को आपत्तिया दावा हो प्रकरण की सुनवाई 10/12/21 या इसके पूर्व इस न्यायालय में स्वतः उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25.11.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — **नजूल अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)**

आम सूचना

मैं अधिकृत अधिवक्ता जयराम भागवानी (जिला न्यायालय दुर्ग) एल.आई.सी.हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड भिलाई से अपने पक्षकार जॉन थोट्टूपुरात्हू जॉन उम्र- 62 वर्ष आ.जॉन थोट्टूपुरात्हू थॉमस अन्य-2 निवासी निर्मला विल्ला विवेकानंदनगर बोरसी दुर्ग तह. व जिला दुर्ग छ.ग. से प्राप्त अधिकार एवं निर्देशानुसार यह सूचना प्रकाशित करता हूं कि द्वारा दिए गए अधिकारी उपरांत विक्रेता निर्मल सिंह आ. श्री सुंदरलाल साहू निवासी पोटियाकला दुर्ग से क्रेता श्रीमती दीप लता कनेरिया पति श्री अशोक कुमार निवासी पद्मनाभपुर दुर्ग तह. व जिला दुर्ग छ.ग. के हक की भूमि वाके मौजा पोटियाकला प.ह.नं. 55 रा.नि.मं दुर्ग-1 तह. व जिला दुर्ग के तहत खसरा नं. 151/2 का भाग रकबा 0.024 हे. 2600 वर्गफीट रजिस्ट्री दिनांक 08/10/1993 दस्तावेज नं. 4502 को रजिस्ट्री क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया है। जिसका रजिस्ट्री पेपर कहीं गुम हो गया है। उक्त मूल रजिस्ट्री पेपर का कोई दूरूपयोग न करें इस हेतु इसकी सूचना संबंधित थाने में दर्ज कराई गई है। अतएव आम जनता जो कि उक्त प्लाट/भूमि संबंध में किसी प्रकार का स्वत्व स्वामित्व रखता हो तो इस सूचना प्रकाशन के सात दिनों के भीतर मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा अवधि असवर समाप्त होने के पश्चात किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति शून्य एवं निष्प्रभावी होगा।

अधिवक्ता जयराम भागवानी
मो. नं. 9302838684

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग 03 (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र-202111103300087//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक घनश्याम यादव पिता स्व. खोरबाहरा यादव निवासी मकान नं. 121 वार्ड नं. 9 ग्राम व पोस्ट सोमनी मौजा बघेरा प.ह.न. 48 रा.नि.मं. दुर्ग- 2 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 19/1, 106/1 रकबा 0.337 हे. 0.0356 हे. कुल रकबा 0.693 हे. सोनिया बाई व अन्य सहखातेदार के नाम पर दर्ज है। भूमिस्वामी की मृत्यु दिनांक 18/12/17 को हो जाने के कारण वारिसानों का नाम दर्ज करने आवेदन पेश किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 07.12.2021 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 18.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग -1 (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-6/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक जेम्स कुमार आ./पति जॉन साकिन उतई के द्वारा ग्राम उतई प.ह.न 42 रा.नि.मं. उतई तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 995 रकबा 1325 वर्गफीट हे. भूमि प्रेममणी पिता स्व. जॉन से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 23/02/2004 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के अधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणिकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायाालय में प्रस्तुत किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत दिनांक 08.12.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 22.11.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग 03 (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र-//अ-74/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक तारकेश्वर पासवान पिता स्व. सुरेन्द्र पासवान निवासी आदित्य नगर दुर्ग के द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि उनके भूमि स्वामी हक की भूमि मौजा ग्राम उरला प.ह.नं. 07 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला स्थित भूमि खसरा नंबर 658/2 रकबा 1500 वर्गफीट दर्ज है। उक्त भूमि का मूल ऋण पुस्तिका गुम हो गया है जिसका द्वितीय प्रति में ऋण पुस्तिका प्राप्त करने हेतु आवेदन इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 09.12.2021 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 23.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र- 202111100700285/अ-74/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती इंद्राणी यादव पति स्व. दिनेश कुमार यादव निवासी गांधी चौक तितुरडीह दुर्ग तह. व जिला दुर्ग द्वारा अपने पति स्व. दिनेश कुमार यादव जो कि रेलवे विभाग में एसआर चौकिदार के पद पर कार्यरत् थे की मृत्यु दिनांक 21/10/21 को हो चुकी है। मृतक के वैध वारिसान के रूप में पत्नि श्रीमति इंद्राणी यादव पुत्री भूमिका यादव पुत्र तुलिका यादव होने से मृतक के शासकीय देयकों के भुगतान हेतु आश्रिता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत दिनांक 13.12.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 25.11.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय तहसीलदार धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र- /अ-5/ वर्ष 2020-21

ग्राम- मोहरेंगा प.ह.नं.- 33

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक पुनाराम गोड आ. स्व. बिसाहु गोड निवासी ग्राम मोहरेंगा तह. धमधा जिला दुर्ग के द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 89 छ.ग.भू.रा. संहित के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आवेदक के पिता स्व. बिसाहू गोड आ. स्व. दुर्जन गोड ग्राम मोहरेंगा प.ह.नं. 33 में स्थित भूमि खसरा नं. 21, 87, 102, 35, 190/2 रकबा 0.53, 0.20, 0.24, 0.611, 0.32 हे. भूमि स्वामित्व धारी था। आवेदक के पिता की मृत्यु के बाद आवेदक एवं उनके भाई ने अपने पिता के उपरोक्त भूमियों पर बतौर उत्तराधिकारी के भूमिस्वामी के हैसियत से फौती दर्ज करा भूमि पर काबित कास्त है। उक्त भूमि में से राजस्व अभिलेख में खसरा नं. 190/2 रकबा 0.32 हे. को आवेदक के भुअधिकार ऋणपुस्तिका में तो गई किया गया है। परन्तु अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया है और न ही इसके पूर्व भी शासन द्वारा 1983/84 में किए गए बंदोबस्त में आवेदक के खसरा नं. 190/2 रकबा 0.32 हे. का रिनंबरिंग जारी नहीं किया गया है। अतः आवेदक ग्राम मोहरेंगा प.ह.नं. 33 तह. धमधा जिला दुर्ग स्थित पुराना खसरा नं. 190/2 रकबा 0.032 हे. भूमि का नया खसरा नं. दिए जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है जो कि प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। यदि जिस किसी भी व्यक्ति को उक्त वाद भूमि उक्त भूमि के खसरा एवं रकबा सुधार करने के संबंध में कोई आपत्ति दावा या उजर हो तो इस न्यायालय में पेशी दिनांक 08/12/21 को लिखित में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 25.11.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **तहसीलदार धमधा दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र.	पक्षकार का नाम	ऑनलाईन
ई-कोर्ट	श्री राणा प्रेम सिंह	रजिस्ट्रेशन नं. 20211010040502

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री राणा प्रेम सिंह आ. स्व. आर.पी.सिंह निवासी मकान नं. 40 नेहरू नगर पूर्व भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसली प.ह.न. 22 तह. व जिला दुर्ग	732/23	0.086 हें 9324.5 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. नं. 202111100400073

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका उपासना साहू पति ईश्वर साहू निवासी राम नगर उरला द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.न. 17/7 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 85/46 रकबा 0.014 हें/ 1520 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 12.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. नं. 202111100400247

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका चनम्मा पति मनि निवासी सेक्टर-5 भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 602/27 रकबा 0.019 हें/ 2070 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 24.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. नं. 202111100400209

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक शिवेन्द्र कुमार आ. नीलकंठ साहू निवासी खम्हरिया द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 52/33 रकबा 0.0150 हें/ 1650 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 22.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. नं. 202111100400283

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक जयकरण लाल सोनी अन्य 1 आ. स्व. हिमांचल लाल सोली निवासी राम नगर दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम दुर्ग प.ह.न. 16/24 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 850/101 रकबा 0.0140 हें/ 1500 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 25.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. नं. 202100600003

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती ऋचा चौबे पति गिरीश चौबे पता सीसीआई चौक अकलतरा तह. अकलतरा जिला चांपा जांजगीरी (छ.ग.) के द्वारा ग्राम अमलेश्वर प.ह.न. 5 तहसील पाटन व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 557/25 रकबा 0.0220 हें/ 2400 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव् एतद द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को आपत्तिया दावा हो प्रकरण की सुनवाई 30/11/21 या इसके पूर्व इस न्यायालय में स्वतः उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 15.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी पाटन जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र- 202111103300080/अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक अभिषेक सुशील कुमार चौरसिया पिता सुशील कुमार चौरसिया निवासी मकान नं. सी-25 कर्मचारी नगर शिवमंदिर के सामने दुर्ग मौजा सिकोला प.ह.नं. 08 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 34/38 रकबा 2680 वर्गफीट भूमि को विक्रेता सुधीर कुमार पिता बालगोविंद चौरसिया से दिनांक 16/11/21 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 07.12.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 18.11.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका खोरबाहरिन यादव पति बाबूलाल यादव निवासी ग्राम नयापारा दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 41/27 रकबा 0.007 हे. भूमि को विक्रेता राजेश चक्रधारी पिता बाबूलाल चक्रधारी निवासी ग्राम मोहलई से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 24.03.1994 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 08.12.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 28.10.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

मनचले हो जाए सावधान! सबक सिखाने आ रही है तेजतर्रार महिला टीम

■ **सुरक्षा एवं जागरूकता के लिए रायपुर पुलिस की पहल**

रायपुर/नवप्रदेश। मनचले अब सावधान हो जाए, क्योंकि मजनुओं की खातिरदारी करने प्रतिभाशाली खूबसूरत महिला पुलिस टीम आ गई है। जी हां, यह टीम शहर की हर गली और मोहल्ले में जाकर युवतियों को बदमाशों से निपटने के गुर सिखाएगी।

दरअसल, आए दिन महिलाएं, लड़कियां व बच्चियां किसी न किसी तरह से प्रताड़ित हो रही है, जो खबरों की सुर्खियां बनती है। इस तरह की घटनाओं को लेकर पुलिस विभाग भी काफी सक्रिय है, लेकिन कई बार जहां जरूरत होती है वहां नहीं पहुंच पाते। अब इसे रोकने के लिए रायपुर पुलिस ने गुरुवार को 'पिंक गश्त 2021' नाम से अभियान शुरू किया है। रायपुर पुलिस लाइन में आयोजित इस समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुईं।

152 महिला पुलिसकर्मियों की वर्दी की गूंज

मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची डॉ. नायक ने पुलिस द्वारा वाट्सएप नंबर 9479190167 को जारी किया। इस दौरान डॉ. नायक ने आयोग का अनुभव भी साझा किया। उन्होंने कहा कि जब वह आयोग में जनसुनवाई करती हैं तो वहां सिर्फ दो पुलिस अधिकारी मौजूद होते हैं। उनकी उपस्थिति में जनसुनवाई बहुत सुगम हो जाती है। डॉ. नायक ने कहा अगर मात्र दो पुलिस की उपस्थिति से काम बेहतर हो जाता है, तो कल्पना कीजिए जब 152 महिला पुलिसकर्मियों की टीम शहर में घूमेगी तो विमेन पॉवर का डर मनचलों के लिए काफी होगा।

इस दौरान डॉ. नायक ने एसएसपी प्रशांत अग्रवाल को सुझाव देते हुए कहा कि इस टीम का हिस्सा उन युवा लड़कियों को भी बनाएं जिसमें थोड़ा बहुत हिम्मत हो। इससे काम बहुत आसान हो सकता है। एसपी ने उनके सुझाव को मान लिया और आने वाले समय में इसे लागू करने का आश्वासन दिया। पिंक गश्त को लीड कर रही है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल और उनके अधिनस्त करीब 152 से अधिक महिला पुलिसकर्मी है। ये महिला पुलिसकर्मी रायपुर शहर के प्रत्येक मोहल्लों, स्कूल, गर्ल्स हॉस्टल, बस स्टैंड सहित ऐसी जगह पर अपनी पैनी निगाह रखेंगे, जहां अमूमन लड़कियों से छेडख़ानी हो सकती है।

प्रत्येक माह देंगी सेफ्टी टिप्स

रायपुर पुलिस की महिला पुलिस अधिकारी/कर्मचारी प्रत्येक माह अवेयरनेस कार्यक्रम चलाएगा। हर महीने दो से तीन दिनों तक महिला पुलिस की टीम मार्केट एरिया, शॉपिंग मॉल्ज, गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स कॉलेज जैसे जगहों पर जाकर महिलाओं व लड़कियों से मिलेगी। उनसे रूबरू बात करेगी। अगर उनकी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे सुनेगी तथा उसे सॉल्व करेगी। महिलाओं, लड़कियों एवं बच्चियों को अपराधों से बचाव की जानकारी के साथ ही सेफ्टी टिप्स देगी। किसी महिला के साथ कुछ घटना होने पर या होने की आशंका पर पुलिस से बेहिचक संपर्क करने प्रेरित करने के लिए प्रेरित करेगी, साथ ही पुलिस के हेल्पलाइन नंबर्स एवं व्हाट्सएप नंबर शेयर करेगी।

पिंक गश्त का उद्देश्य

पिंक गश्त का उद्देश्य महिला पुलिस के माध्यम से रायपुर की महिलाओं के लिए निडर वातावरण बनाना, महिलाओं को अपराधों से बचने के उपाय बताना, कुछ होने पर पुलिस को आसानी से संपर्क करने प्रेरित करना, सोशल मीडिया को लेकर आवश्यक सावधानियों के बारे में बताना, हेल्पलाइन नंबर प्रचारित करना है। पिंक गश्त में कुल 15 टीमें है, जिसमें रायपुर पुलिस की 152 महिला पुलिस शामिल है। जो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में जाकर महिलाओं को जागरूक करने का कार्य करेगी।

भारतीय सेना के शौर्य की गाथा प्रदर्शित की जाएगी

रायपुर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से राजभवन में संचालनालय सैनिक कल्याण छत्तीसगढ़ के संचालक ब्रिगेडियर श्री विवेक शर्मा ने मुलाकात कर उन्हें सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा सैनिकों के कल्याण के लिए की जा रही गतिविधियों की जानकारी दी। राज्यपाल सुश्री उइके ने सैनिक कल्याण बोर्ड के कार्यालय की चारदीवारी में भारतीय सेना के शौर्य की गाथा उकेरने के निर्देश दिए। उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए और अधिक कार्यक्रम संचालित करने को कहा। साथ ही राजभवन में झंडा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कराने और राज्य प्रबंधन समिति की जनवरी में मीटिंग बुलाने की भी चर्चा हुई।

न्यूज गैलरी

भारतीय बौद्ध महासभा ने 72 वाँ संविधान दिवस मनाया

रायपुर/नवप्रदेश। 26 नवम्बर 2021 को भारतीय बौद्ध महासभा रायपुर एवं नगर पालिका निगम रायपुर द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी संविधान दिवस कलेक्ट्रेट चौक ,बाबा साहब भीमराव आंबेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष मनाया।सर्व प्रथम संस्था द्वारा डॉ.बाबासाहेब अम्बेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बुद्ध वन्दना व संविधान उद्देशिका का सामूहिक वाचन किया गया. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत गणराज्य के विशालतम संविधान के मूल तत्व, संविधान का प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष एवं कल्याणकारी अनुसूचियों का विवरण, मनुष्य के मूलभूत एवं मौलिक अधिकारों का विवरण, संविधान की व्याख्या, निर्धन, गरीब, पिछड़े एवं जनमानस में अत्यंत प्रभावशाली तत्वों का समावेश मानव के विकास, उन्नति, शिक्षा एवं विशेष स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने के अपरिहार्य उदाहरण की व्याख्या तथा मानव के विकास की संविधान का महत्व तथा संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार एवं हमारे मौलिक कर्तव्य की हम संविधान की रक्षा एवं सुरक्षा कैसे करें एवं संविधान में प्रदत्त कानून जो कि, भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक, जो किसी भी धर्म को मानता हो, गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करता हो, अनुसूचित जाति, जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हर एक सदस्यों के विकास, उन्नति के समान अवसर को प्रदान करने का कार्य, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए करने वाले भारतीय संविधान की सुरक्षा करना होगा एवं दिए गए प्रावधानों का लाभ वंचित समाज को मिले, इसी विषय पर वक्ताओं ने अपने भाषण में एवं गीतकारों ने अपने गीतों के माध्यम से अपने उदगार प्रस्तुत किये।

नगर निगम ने दाल मिल में जड़ा ताला, सम्पतिकर नहीं पटाने पर हुई कार्रवाई

रायपुर/नवप्रदेश। राजधानी के बसंत दाल उद्योग में निगम ने ताला जड़ दिया है। व्यवसायी को 7 लाख 28 हजार 266 रूपये का आयकर पटाना था जो निर्धारित समय में नहीं पटा। इस पर नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त प्रभात मलिक के आदेशानुसार नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 9 के राजस्व विभाग की टीम बड़ी कार्यवाही करते हुए उद्योग को सील कर दिया गया है।जोन कमिश्नर संतोष पाण्डेय के नेतृत्व में कार्य हुआ है। व्यवसायी को नगर निगम जोन 9 राजस्व विभाग ने पहले डिमांड बिल जारी किया, फिर अंतिम नोटिस जारी किया गया, सम्पतिकर नहीं पटाने पर बसंत दाल उद्योग के बड़े बकायादार संचालकों को वारंट जारी कर कुर्की की कार्यवाही के तहत आज अभियान चलाकर की गई है।

संविधान दिवस पर परिचर्चा का आयोजन

रायपुर/नवप्रदेश। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में शुक्रवार को संविधान दिवस के अवसर पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव व एससीईआरटी के संचालक राजेश सिंह राणा ने कहा कि भारतीय संविधान की एक-एक शब्द को गहराई से अध्ययन करने की जरुरत है। यदि हम संविधान के मौलिक अधिकार व कर्तब्य को दैनिक जीवन के आचरण में लाएंगे। तभी हम आने वाली पीढ़ी को संविधान का सही पाठ पढ़ा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा की हमें केवल संविधान का सामूहिक पाठ ही नही करना है, बल्कि इसे जीवन में आत्मसात करना होगा। राजेश सिंह राणा ने कहा की राष्ट्र का निर्माण नागरिकों से होता हैं और सरकारी संस्थान वो चाहे राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, या न्यायिक हो, वह एक-एक शब्द का पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशानुसार पाठ्यपुस्तक के माध्यम से भारत का संविधान व हम भारत के लोग उपलब्ध कराई गई हैं। उन्हें भावी पीढ़ी तक तभी पहुंचा पायेंगे जब उसके एक-एक शब्द को पढ़कर जीवन में लाएंगे।

राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से माधुरी जंघेल और दुलारू साहू सम्मानित

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ की पशुपालक माधुरी जंघेल और पशुधन विकास विभाग में कार्यरत कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन दुलारू राम साहू को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। पशुपालन व पशुधन विकास में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार के पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्रालय द्वारा चयनित व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है।केन्द्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्री परूषोत्तम रूपाला ने आज राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड और पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्रालय द्वारा भारत में श्वेत क्रांति के जनक स्वर्गीय वर्गीज कुरियन की जन्म शताब्दी व राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर गुजरात के आनंद में आयोजित कार्यक्रम में ये पुरस्कार प्रदान किए। धमतरी जिले के कुरूद विकासखंड के ग्राम मुरा के कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन दुलारू राम साहू को श्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में तीन लाख रूपए का द्वितीय पुरस्कार मिला है। वहीं राजनांदगाव जिले के छुईखदान विकासखंड के ग्राम संडी की पशुपालक माधुरी जंघेल को श्रेष्ठ देशी नस्ल कृषक श्रेणी में दो लाख रूपए का तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

आदिवासियों और दलितों का कल्याण छग सरकार की पहली प्राथमिकता : वन मंत्री

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ के वन एवं विधि विधायी मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि आदिवासियों, किसानों और वंचितों का कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और उनकी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

यह मंशा शुक्रवार को मंत्री अकबर ने 'भारत में जनजातीय संक्रमणः मुद्दे, चुनौतियां और आगे की राह' विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के में जाहिर किया। उन्होंने आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सहित उनकी संस्कृति और परम्पराओं को सहेजने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का विस्तार से चर्चा की। इस राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, लेकिन उनकी व्यस्तता के कारण वन मंत्री ने उनकी जगह मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सम्बोधित किया। वन मंत्री ने इस अवसर पर सभी लोगों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दीं।

राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ के जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (ट्रायबल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट) और ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान के सहयोग से वर्चुअल मोड में किया गया। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के आदिमजाति कल्याण मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा, छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता सतीश चन्द्र वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में एचएनएलयू रायपुर के कुलपति प्रोफेसर डॉ. वी.सी. विवेकानंदन और रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉ. उदय शंकर भी उपस्थित थे।

भारत में जनजातीय संक्रमण: मुद्दे, चुनौतियां और आगे की राह विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन

वनोपजों की संख्या 7 से बढ़कर हुई 52

वन मंत्री ने सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने साकार करने के लक्ष्य को लेकर अनेक नीतियों और योजनाएं प्रारंभ की हैं। सुराजी गांव योजना, नरवा-गरवा-घुरूवा-बाड़ी, गोधन न्याय योजना जैसी योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। इससे आदिवासियों का जीवन स्तर ऊंचा उठा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में वन अधिकार कानून को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करते हुए व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार पट्टों के साथ ग्राम सभाओं को वन संसाधन के अधिकार भी दिए गए हैं। लघु वनोपजों के समर्थन मूल्य में वृद्धि के साथ खरीदी जाने वाली लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 52 की गई है। साथ ही लघु वनोपजों के वेल्यू एडिशन के कार्य में हजारों की संख्या से आदिवासियों और वनवासियों को रोजगार से जोड़ा गया है।

स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का मिल रहा लाभ

अकबर ने कहा कि आदिवासियों के संरक्षण के लिए नई औद्योगिक नीति में बड़े उद्योगों की जगह छोटे उद्योगों, वन और कृषि आधारित गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है। औद्योगिक नीति में यह प्रावधान भी रखा गया है कि उद्योगों की स्थापना प्राथमिकता के आधार पर शासकीय भूमि पर की जाए।उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य से संबंधित संचालित की जा रही योजनाओं मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मलेरिया उन्मूलन अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं से इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ करने में मदद मिली है। शिक्षा के क्षेत्र में लागू की गई योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में वर्षों से बंद पड़े स्कूलों को फिर से शुरू किया गया। हर विकासखंड में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की स्थापना की गई। राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग और स्कॉलरशिप की सुविधा दी जा रही है। अकबर ने इस राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस कांफ्रेंस के माध्यम से आदिवासियों से जुड़े मुद्दों एवं कठिनाईयों के समाधान के लिए नए रास्ते निकलेंगे।

बुनियादी क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं आदिवासी समाज : डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम

आदिमजाति कल्याण मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के जनजातीय समुदायों के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है, जिसके परिणाम स्वरुप आदिवासी समाज के लोग आज शिक्षा, रोजगार सहित विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। उनमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता भी आ रही है, लेकिन अभी भी उनके लिए काफी कुछ किया जाना शेष है।डॉ.टेकाम ने आदिवासियों के हित में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यो का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में उद्योगों के लिए आदिवासियों से ली गई जमीन उन्हें वापस की गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत 4 लाख 45 हजार से अधिक व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, 45 हजार 432 सामुदायिक वन अधिकार पत्र तथा 3113 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किए गए हैं। तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक की दर 2500 रूपए से बढ़ाकर 4000 रूपए प्रति मानक बोरा की गई है। अकेले तेंदूपत्ता संग्रहण से वनवासियों को 700 करोड़ रूपए तथा लघु वनोपजों के संग्रहण से 200 करोड़ रूपए की आमदनी हुई है।

आदिवासियों को मजबूत करेगा पेसा कानून

मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पेसा अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए नियम बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र की 5632 पंचायतें तथा 9977 ग्राम पेसा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं और इसके आने से वे और अधिक मजबूत हो जाएंगे।

कुपोषण से सुपोषण की ओर छत्तीसगढ़, गुणवत्ता पर विशेष जोर

■ **महिला समूहों की आय रहेगी बरकरार**

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ को कुपोषण मुक्त बनाने राज्य सरकार कटिबद्ध है। यही कारण है कि अब छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों में कुपोषण को दूर करने व्यवस्था मे जोर दिया गया है। सभी आंगनबाड़ी के लिए वितरित किए जा रहे रेडी टू ईट पोषण आहार की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए केन्द्रीयकृत व्यवस्था अपनाने का निर्णय लिया गया है।

इस व्यवस्था में स्वचलित मशीनों के जरिए रेडी टू ईट पोषण आहार का उत्पादन किया जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान में अनुबंधित महिला स्व-सहायता समूहों को रेडी टू ईट के परिवहन एवं वितरण कार्य में सहयोग लिया जावेगा, जिससे उनके आय के साधन में निरंतरता रहेगी।

पोषण आहार में स्वच्छता सर्वोपरि

महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं फूड सेफ्टी हाईजीन निर्देश 2013 में पूरक पोषण आहार निर्माण में स्वच्छता संबंधी मानक निर्देश दिये गए हैं। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि हितग्राहियों को दिए जा रहे पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत वितरित किए जा रहे रेडी टू ईट में निर्धारित ऊर्जा, माइक्रोन्यूट्रीएंट्स (कैलोरी, प्रोटीन, फोलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, नाईसीन, कैल्शियम, थायमिन, आयरन, विटामिन ए, बी12, सी एवं डी) होने के साथ वह फोटिफाईड एवं फाइन मिक्स होना चाहिए। इसके साथ ही रेडी टू ईट मानव स्पर्शरहित, स्वचलित मशीन (थ्नसससल ।नजवउंजमक) द्वारा निर्मित एवं जीरो संक्रमण रहित होना चाहिए।

कृषि विकास निगम करेगा रेडी टू ईट फूड निर्माण

वर्तमान में प्रचलित पूरक पोषण आहार व्यवस्था में परिवर्तन से हितग्राहियों को राष्ट्रीय अधिनियमों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए मानक पूरक पोषण आहार प्रदान किया जा सकेगा। मंत्री परिषद् द्वारा 22 नवम्बर को लिए गए निर्णय अनुसार रेडी टू ईट फूड निर्माण अब कृषि विकास एवं कृषक कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य बीज एव कृषि विकास निगम द्वारा स्थापित इकाइयों के माध्यम से किया जाएगा। इस आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के संयुक्त उपक्रम रायगढ़ संयंत्र द्वारा रेडी टू ईट प्रदाय करने का निर्णय लिया गया है।

पैकेजिंग में क्यूआर कोड का उल्लेख

विभाग ने बताया है कि केन्दीयकृत व्यवस्था लागू होने से खाद्य सामग्री की वैधता अवधि अधिक होगी और गुणवत्ता में एकरूपता आएगी। इससे आसानी से पूरक पोषण आहार की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग और उस पर नियंत्रण हो सकेगा। जीपीएस ट्रेकिंग सिस्टम के माध्यम से सामग्री की आपूर्ति एवं पैकेजिंग में क्यूआर कोड का उल्लेख होगा। इससे सभी हितग्राहियो को उच्च गुणवत्ता और मानक अनुसार एक समान पूरक पोषण आहार मिलेगा।

ऑनलाइन हुक्का बेचने का विरोध, स्क्रीनशार्ट के साथ सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी के नेतृत्व में व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर सौरभ कुमार को सीएम भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का विरोध ऑनलाइन साईट्स परनशीली सामानों की बिक्री को लेकर कई दिनों से मोर्चा खोल रखा है।

ज्ञापन में परवानी ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हुक्का बार को प्रदेश में बैंड कर दिया, जिसके लिए संगठन उनका आभारी हैं, लेकिन अमेजोन, फ्लिप कार्ट जैसे अन्य कई ऑनलाइन साईट्स पर इसकी धडल्ले से बिक्री हो रही है। इन साईट्स से युवा वर्ग नशे का शिकार हो रहा हैं। चेम्बर ने बाकायदा अमेजन पर हुक्का बेचते हुए कीमत सहित स्क्रीन शॉर्ट लेकर सीएम को ज्ञापन दिया। चेम्बर अध्यक्ष पारवानी ने बताया कि देखा जा रहा है कि वर्तमान में अमेजोन, फ्लिप कार्ट, एवं और भी अन्य ऑनलाइन कम्पनियां प्रदेश में अभी भी हुक्का तथा हुक्के के सामान का व्यापार ऑनलाइन बेच रहे है। इससे छत्तीसगढ़ राज्य में हुक्का बार प्रतिबंधित करने की जो मंशा मुख्यमंत्री ने लिया है, वह उसमें सफल होते नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा, किसी भी तरह का नशीले पदार्थ का समर्थन करने वाली ऑनलाइन कम्पनियों पर प्रतिबन्ध लगाने के साथ उस पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। परवानी ने कहा कि, चेम्बर हमेशा से नशे का सामान बेचने वाले अमेजन सहित सभी ऑनलाइन कम्पनियों का विरोध करते आया है और आगे भी करेगा।

महिला आयोग | **समाज प्रमुखों ने 30,000 रुपये व एक अन्य प्रकरण में 63,000 रुपये वापस करना स्वीकार कर माफी मांगी**

महिलाओं से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए सुनवाई की गई

रायपुर/नवप्रदेश। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्यगण डॉ अनीता रावटे एवं श्रीमती नीता विश्वकर्मा की उपस्थिति में आज शास्त्री चौक स्थित, राज्य महिला आयोग कार्यालय में महिलाओं से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए सुनवाई की गई।

आज एक प्रकरण में आवेदिकागण ने आयोग के समक्ष बताया कि एक शिक्षक होने के साथ समाज का सचिव है और समाज के लोगो को डराकर अर्थदंड वसूलता है।

इस प्रकरण में आवेदिकागण की भतीजी का विवाह जिस लड़के से हुआ था वह शादी के तुरंत बाद अत्यधिक नशे की हालत में पागलों की तरह हरकत कर रहा था। जिसके कारण आवेदिकागणों की भतीजी ने ससुराल जाने से मना कर दिया। जिसके कारण आवेदिकागणों से तीस हजार रुपये अर्थदंड की वसूली समाज के प्रमुखों ने की। समाज प्रमुखों को संवेदनशीलता का परिचय देना था परंतु अनावेदकगणों ने उस शराबी को पैसा दिलवाया और आवेदिकागणों से बात करने वाले गांव समाज के लोगों पर पन्द्रह पन्द्रह सौ रुपये का अर्थदंड लगाया क्योंकि वह इन लोगों से बात करते थे, और गांव वालों से भी 45 हजार वसूला है। इस प्रकार अनावेदकगणों ने अवैध रूप से सामाजिक दण्ड वसूला है, जिसकी देनदारी की जिम्मेदारी अनावेदकगणों की है। आयोग की समझाइश पर समाज प्रमुखों ने आवेदिकागणों से आयोग के समक्ष माफी मांगा है, और अर्थदंड की वापसी के लिए समय की मांग भी किये हैं आगामी सुनवाई में अर्थदंड के साथ समाज प्रमुख को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं प्रकरण को आगामी सुनवाई में रखा गया।

इसी तरह एक अन्य प्रकरण में समाज प्रमुखों ने 63,000 रूपये वापस करने की मंजूरी दी और आयोग के समक्ष आवेदिकागणों से माफी मांगी।

एक अन्य प्रकरण में एक महाविद्यालय की छात्रा ने आयोग के समक्ष शिकायत में आवेदिका और अनावेदक एक दूसरे के खिलाफ गलत फहमी के कारण टीका टिप्पणी, मारपीट की घटना हुई है, जिससे आवेदिका को परेशानी हुई। चूंकि दोनो महाविद्यालय के छात्र है और पढ़ाई के अंतिम वर्ष में है आयोग की समझाइश पर दोनो पक्षों ने आयोग के समक्ष स्वीकार किया है कि भविष्य में किसी भी तरह से सोशल मीडिया में गलत टिप्पणी नही करेंगे। इस तरह प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

इसी तरह अन्य दो प्रकरण में पति पत्नी को आयोग द्वारा समझाइश दिए जाने पर एक साथ रहने तैयार हुए जिससे प्रकरण सुनवाई के दौरान नस्तीबद्ध किया गया।

एक अन्य प्रकरण में आयोग के समक्ष अनावेदक द्वारा अपशब्द कहकर दुर्व्यवहार किया गया है। आवेदिका लगभग 80 वर्षीय वृद्ध महिला है जिसकी शिकायत अनावेदक के विरुद्ध गाली गलौच, दुर्व्यवहार करने की है। जिसे गम्भीरता से लिया जाकर आवेदिका को यह निर्देशित किया जाता है कि अपने थाना क्षेत्र में जाकर जुर्म दर्ज करा सकती है।

एक अन्य प्रकरण में अनावेदक ने स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी से कोर्ट में तलाक नही लिया है और दूसरी शादी कर ली है। दूसरी पत्नी से 10 साल 8 साल 6 साल के तीन बच्चे है। पहली पत्नी से चार बच्चे है जिसका पालन पोषण आवेदिका ने किया है। अनावेदक ने यह भी स्वीकार किया कि अपनी पत्नी को कोई भरण पोषण राशि नही दिया है। अनावेदक 1500 रुपये महीना देने की बात कर रहा है। आवेदिका को 3000 रुपये देने की बात करेगा तो आवेदिका उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नही करेगी।

संपादकीय

हांगामो की भेंट न चढ़े सत्र

29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस सत्र के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी और लंबित पड़े विधेयक कानून की शक्ल अख्तियार कर पाएंगे। इस सत्र में सबसे महत्वपूर्ण काम यह होने जा रहा है कि केन्द्र सरकार उन तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेगी जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रकाश पर्व के दिन की थी। मोदी मंत्रीमण्डल की बैठक मे भी उन तीन नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मंजूरी दे दी गई है। अब संसद में ये तीनों नए कृषि कानून सर्वसम्मति से रद्द हो जाएंगे। यह प्रस्ताव खुद सरकार लाने वाली है जिसका पूरा विपक्ष एक स्वर में समर्थन करेगा क्योंकि विपक्षी पार्टियां इन नए कृषि कानूनों का विरोध कर रही थी। इसके साथ ही किसानों की समस्याओं पर भी चर्चा हो सकती है। संसद का शीताकलीन सत्र शुरू होने के पूर्व प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर मंथन किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के मुताबिक कांग्रेस सत्र के दौरान किसानों की प्रमुख मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सरकार को घेरेगी। इसके अलावा बढ़ती महंगाई को लेकर भी कांग्रेस हल्ला बोलेगी। विपक्ष को जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना भी चाहिए। किन्तु इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि संसद सत्र हंगामों की भेंट चढ़कर न रह जाए। पूर्व में संसद को अखाड़ा बनाने की कोशिशें की गई थी जिसके चलते संसद में गतिरोध बना रहा। संसद की कार्यवाही ठप रहने के कारण कई महत्वपूर्ण विधेयक ठंडे बस्ते की शोभा बन गए। इसलिए सत्तापक्ष और विपक्ष को मिलकर यह कोशिश करनी चाहिए कि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चले। संसद का हर क्षण बेशकीमती होता है। यदि उसे व्यर्थ गंवाया गया तो इससे देश को नुकसान होता है और जनहित में फैसले होने में भी अनावश्यक विलंब होता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पूर्व की भांति इस बार संसद का शीतकालीन सत्र हंगामों की भेंट नहीं चढ़ेगा। इसके लिए सत्तपक्ष और विपक्ष दोंनों मिलकर काम करें।

विचार

प्रदूषित दिल्ली भगवान भरोसे

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

दिल्ली में प्रदूषण का हाल इतना बुरा है कि इसे दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर भी कहा जा सकता है, हालांकि यह खिताब अंतरराष्ट्रीय प्रदूषण मापक संस्था ने पाकिस्तान के लाहौर को दे रखा है। दिल्ली की जहरीली हवा पर हमारा सर्वोच्च न्यायालय कई बार काफी सख्त टिप्पणियां कर चुका है लेकिन केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार अभी तक खर्राटे ही खींच रही हैं। इस दिल्ली में दो-दो सरकारें हैं लेकिन दिल्ली का प्रदूषण अन्य बड़े शहरों के मुकाबले दुगुना है। राजनीतिक प्रदूषण जब दिल्ली में बढ़ता है तो लोग उसकी ज्यादा परवाह नहीं करते बल्कि लोग उसका रस लेते हैं लेकिन यह जलवायु-प्रदूषण तो जितना जनता के लिए बुरा है, उससे भी ज्यादा नेताओं के लिए बुरा है, क्योंकि नेता अपने भगतों से मिले-जुले बिना रह नहीं सकते और भीड़-भड़क्के के बिना उनका काम नहीं चलता। सर्वोच्च न्यायालयों के जजों ने कहा है कि हमारी सरकारें प्रदूषण से निपटने में बड़ी लापरवाही कर रही है। वे भगवान भरोसे बैठी रहती हैं। इसीलिए प्रदूषण का स्तर दिल्ली में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में आज प्रदूषण-अंक 500 और उससे भी ऊपर दौड़ रहा है जबकि कल सर्वोच्च न्यायालय में सरकारी वकील दुहाई दे रहे थे कि दिल्ली में प्रदूषण घट रहा है, क्योंकि तेज हवा के कारण कुछ घंटों के लिए वह 250 के आस-पास पहुंच गया था। अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार ने पराली जलानेवाले किसानों पर जुर्माना क्यों नहीं थोपा? पराली के कारण प्रदूषण लगभग 30 प्रतिशत हो जाता है जबकि कुछ सरकारी सूत्र कहते रहते हैं कि पराली के कारण वह सिर्फ 2 प्रतिशत होता है। अगर यह सही भी है तो पहले की तरह बाहर से आनेवाले ट्रकों पर इस साल प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया? कारों के सम-विषम नंबरों के आधार पर उनके यातायात और परिवहन को क्यों नहीं रोका गया? आम आदमी मुखपट्टी तो बांधे रह सकता है लेकिन उसके घरों में प्रदूषण-नियंत्रण यंत्र वह कहां से लाकर रख सकता है? नोटबंदी और तालाबंदी ने उसका हाल इतना खस्ता कर दिया है कि उसे भरपेट रोटी भी नसीब नहीं है तो वह प्रदूषित हवा से खुद को कैसे बचा सकता है? अदालत ने तो यह भी कहा है कि दिल्ली पर कुछ दिनों के लिए दुबारा तालाबंदी क्यों नहीं थोपी गई? सरकार की तरफ से पेश सफाई में उसके वकील ने अदालत के सामने कई आंकड़े पेश करके यह बताने की कोशिश की कि सरकार ने पुराने धुंआफेंक वाहनों, जहरीले ईंधन से चलनेवाले उद्योगों और अंधाधुंध भवन-निर्माण कार्यों पर तरह-तरह के जुर्माने लगाने में कोई कोताही नहीं की है। उसने करोड़ों रु. का जुर्माना ठोका है। भारत के मुकाबले यूरोप और अमेरिका के शहरों में वाहन ज्यादा चलते हैं। वहां कल-कारखाने भी बहुत ज्यादा हैं, फिर भी उनका प्रदूषण-अंक 50 और 100 के बीच ही रहता है। यदि हमारी सरकारें भी प्रदूषण के स्थायी हल की कोशिश करें तो भारत की स्थिति उनसे भी बेहतर हो सकती है।

किसान आंदोलन, आगे की राह

डॉ. श्रीनाथ सहाय

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी के सदस्य रहे और शेतकारी संगठन के अध्यक्ष डॉ. अनिल घनवट का मानना है कि एमएसपी देना संभव ही नहीं है। कृषि को खुला बाजार दिया जाना चाहिए। विशेषज्ञों का ही एक अन्य तबका मानता है कि एमएसपी की गारंटी से बोझ बढ़ेगा। इन कानूनों को वापस लेने के बाद अब किसानों को आंदोलन खत्म कर एमएसपी के लिए सरकार से बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। वैसे तो कृषि कानूनों के खत्म होने के साथ ही किसान आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन, ऐसा हुआ नहीं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है इस संयुक्त किसान मोर्चा में जुड़े किसान संगठनों की अपनी-अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं। यही कारण है कि अब किसान मोर्चा एमएसपी के गारंटी कानून पर अड़ गया है, जिसे आजादी के बाद से आजतक कोई सरकार लाने के बारे में सोच भी नहीं सकी है। किसानों के आगे एक बार झुक चुकी मोदी सरकार को एमएसपी गारंटी कानून के जरिये अब पूरी तरह से अपने सियासी जाल में फंसाने की कवायद शुरू कर दी गई है।

यह हर्ष का विषय है कि केंद्र सरकार ने तीनों विवादास्पद कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। यह गुरु पर्व पर देश के किसानों को मोदी सरकार का तोहफा है। किसान पिछले काफी लंबे समय से इन कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलनरत थे। केंद्र सरकार का दावा था कि वह किसानों को बाजार के रूप में कई विकल्प उपलब्ध करवाने की मंशा से इन कानूनों को लेकर आई है, किंतु किसानों के दिलों को वह जीत नहीं पाई। किसानों को आशंका थी कि फसलों की सरकारी खरीद जल्द ही बंद हो जाएगी। इसलिए वे न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने की मांग कर रहे थे। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान ऐतिहासिक कदम है।

प्रधानमंत्री द्वारा कृषि कानूनों को वापस लिये जाने की प्रक्रिया को किसान नेताओं ने उनकी उदारता को कमजोरी समझ लिया है। अब उनकी मांगें बढ़ती जा रही हैं और वे अपने आंदोलन को वापस लेने के मूड में नहीं लग रहे। हालांकि विपक्ष और किसान नेताओं ने सरकार को उनके ऊपर बल प्रयोग करने के लिए पूरी तरह से उकसाया लेकिन सरकार ने संयम का परिचय दिया। सरकार पर निरंकुश और अड़ियल शासक का तमगा लगाने वाले अब चुप क्यों हैं। 26 नवंबर को किसान आंदोलन एक वर्ष का हो गया। आंदोलन अब भी जारी है।

कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी जारी किसान आंदोलन से एक बात तो तय हो जाती है कि ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहने वाला है। क्योंकि, संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट कर दिया है कि वे एमएसपी को लेकर गारंटी कानून समेत 6 अन्य मांगों के साथ किसान आंदोलन करते रहेंगे। आंदोलन के शुरुआती समय में किसान आंदोलन को मोदी सरकार के विरोध में विपक्षी राजनीतिक दलों का भरपूर सहयोग मिला था। जैसे ही किसान आंदोलन के मंचों पर नजर आने वाले सियासी चेहरों की वजह से लोगों के बीच ये संदेश जाने लगा कि ये प्रदर्शन सियासी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने नेताओं के साथ मंच साझा करने से मना कर दिया। लेकिन, पश्चिम बंगाल से लेकर हर चुनावी राज्य में किसानों के बीच पंचायत करने का सिलसिला जारी रहा। वहीं, हर अराजकता पार करने वाली घटना के साथ संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान संगठनों ने अर्बन नक्सल से लेकर खालिस्तान समर्थकों की उपस्थिति को भी बहुत ही चतुराई के साथ मैनेज कर लिया।

ऐसे में सवाल यह है कि क्या किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को गारंटी कानून बनाए जाने की मांग मान ली जाएगी? क्या इस तरह भारत सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है? केंद्रीय कैबिनेट ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का बिल तो मंजूर कर लिया है। संसद में पारित होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए जाने और अधिसूचना जारी होने की औपचारिकताएं शेष हैं। सवाल यह भी है कि अगर

एक पक्ष यह भी है कि किसान आंदोलन के बहाने जमकर राजनीति हो रही थी, जिसका मकसद उत्तर प्रदेश, पंजाब व उत्तराखंड के आसन्न चुनावों पर प्रभाव डालना है। प्रधानमंत्री का यह कथन तार्किक लगता है कि सरकार कृषि सुधारों की हकीकत को किसानों को समझाने में विफल रही है। यही वजह है कि सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद किसान आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं हैं। वे इस आंदोलन के जरिये राजनीतिक लक्ष्य साधने की कोशिश में नजर आते हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों की मांग को सम्मान देते हुए यदि क्षमाशीलता व्यक्त की है तो किसान संगठनों को भी आंदोलन को शीघ्र ही बिना शर्त स्थगित या वापस लेने की घोषणा करनी चाहिए। किसान संगठनों को ये समझना चाहिए कि सरकार की भी अपनी सीमाएं होती हैं।

एमएसपी की मांग मान ली जाती है तो क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एमएसपी को लेकर विरोधाभासी विश्लेषण हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी के सदस्य रहे और शेतकारी संगठन के अध्यक्ष डॉ. अनिल घनवट का मानना है कि एमएसपी देना संभव ही नहीं है। कृषि को खुला बाजार दिया जाना चाहिए। विशेषज्ञों का ही एक अन्य तबका मानता है कि एमएसपी की गारंटी से बोझ बढ़ेगा। इन कानूनों को वापस लेने के बाद अब किसानों को आंदोलन खत्म कर एमएसपी के लिए सरकार से बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए।

वैसे तो कृषि कानूनों के खत्म होने के साथ ही किसान आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन, ऐसा हुआ नहीं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है इस संयुक्त किसान मोर्चा में जुड़े किसान संगठनों की अपनी-अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं। यही कारण है कि अब किसान मोर्चा एमएसपी के गारंटी कानून पर अड़ गया है, जिसे आजादी के बाद से आजतक कोई सरकार लाने के बारे में सोच भी नहीं सकी है। किसानों के आगे एक बार झुक चुकी मोदी सरकार को एमएसपी गारंटी कानून के जरिये अब पूरी तरह से अपने सियासी जाल में फंसाने की कवायद शुरू कर दी गई है। दरअसल, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने पर केंद्र सरकार को अपने कुल बजट का 80 फीसदी से ज्यादा हिस्सा एमएसपी पर खर्च करना होगा। और, ये पूरा पैसा पंजाब और हरियाणा के 6 फीसदी किसानों की ही जेब में जाएगा। क्योंकि, शांता कुमार कमिटी की रिपोर्ट के अनुसार, एमएसपी का लाभ देश के 94 फीसदी किसानों को कभी मिला ही नहीं है। इस स्थिति में एमएसपी कानून आना नहीं है और किसान आंदोलन खत्म होना नहीं है।

वहीं, किसान आंदोलन का समर्थक कथित बुद्धिजीवी वर्ग भी सोशल मीडिया से लेकर तमाम माध्यमों के जरिये लोगों के बीच भ्रम की स्थिति फैलाने में जुटे हुए हैं। अराजकता के सबसे बढ़िया उदाहरण को ये बुद्धिजीवी वर्ग महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के तौर पर पेश कर रहा है। इनके द्वारा लोगों को भड़काने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इनका कहना है कि किसानों के आंदोलन की वजह से कृषि कानून रद्द हुए। मुस्लिम और लिबरल्स के प्रदर्शनों की वजह से अब तक सीएए का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इतना ही नहीं, ये बुद्धिजीवी वर्ग मोदी सरकार और भाजपा को ही असली एंटी-नेशनल साबित करने में जुट गए है। आसान शब्दों में कहा जाए, तो आने वाला समय मोदी सरकार के लिए बहुत मुश्किल भरा होने वाला है। क्योंकि, सरकार विरोधी कुछ हजार लोग सड़कों को घेर कर प्रदर्शन करेंगे, सालभर अराजकता फैलाते रहेंगे। अंत में दबाव में आकर सरकार को कानून वापस लेना ही पड़ेगा। अलग-अलग कानूनों और चीजों के खिलाफ ये सब पीएम नरेंद्र मोदी के इस्तीफे तक चलता ही रहेगा।

राजकाज की भाषा हो छत्तीसगढ़ी...

हेमन्त राठौर

अविभाजित मध्यप्रदेश के समय में छत्तीसगढ़ी बोलने वालों की कम थी, यहां तक आम लोग छत्तीसगढ़ी बोलने में हिचक महसूस करते थे जो छत्तीसगढ़ी बोलते थे उन्हें हेय दृष्टि से देखते थे। राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ी भाषा के संबंध में नकारात्मक सोच दूर हो रही है। आज राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी समेत सभी वर्ग के लोग बोल रहे हैं। इससे भाषा का गौरव, ज्ञान व मान सम्मान बढ़ा है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन उपरांत भाषा के प्रति सकारात्मक चिंतन हुआ है जिसके परिणामस्वरूप भाषा के प्रति लोगों का रूझान बढ रहा है।

छत्तीसगढ़ी को राजकाज की भाषा बनाएं जाने की जरूरत है। इसके लिए हम सबको छत्तीसगढ़ी बोलचाल को बढ़ावा देना होगा। छत्तीसगढ़ी की पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा जोर देना होगा।साथ ही सरकारी कामकाज में भी अनिवार्य की जानी चाहिए। तभी राजभाषा की सार्थकता होगी।

28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जावेगा।आज से ठीक 14 वर्ष पूर्व यानि 28 नवंबर 2007 में छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ी राजभाषा विधेयक पारित किया गया, लेकिन इतने वर्षों बाद भी संविधान की 8 वीं अनुसूची में शामिल ना हो पाना दुखद है और ना ही आज पर्यन्त राजकाज की भाषा बन पाई है। छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा देने की हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास तब संभव होगा,जब हम इस भाषा में अधिक से अधिक बातचीत करेंगे और पठन-पाठन व लेखन में बढ़ावा देंगे। छत्तीसगढ़ी में लिखी बात को दूसरे प्रांत में पहुंचाए जाने चाहिए जिससे अन्य प्रांत के लोग भी इसे जानेंगे और समझेंगे। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ी शब्द, गद्य व काव्य का दूसरे भाषा में अनुवाद कराए जाने चाहिए , जैसे-तमिल , तेलगु, मराठी आदि। तो इससे छत्तीसगढ़ी भाषा की महत्ता व उपयोगिता बढ़ेगी। अविभाजित मध्यप्रदेश के समय में छत्तीसगढ़ी बोलने वालों की कम थी, यहां तक आम लोग छत्तीसगढ़ी बोलने में हिचक महसूस करते थे जो छत्तीसगढ़ी बोलते थे उन्हें हेय दृष्टि से देखते थे। राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ी भाषा के संबंध में नकारात्मक सोच दूर हो रही है। आज राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी समेत सभी वर्ग के लोग बोल रहे हैं । इससे भाषा का गौरव, ज्ञान व मान सम्मान बढ़ा है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन उपरांत भाषा के प्रति सकारात्मक

छत्तीसगढ़ी शब्द कोश को स्कूली शिक्षा तथा सरकारी कामकाज में अधिकाधिक रूप में प्रयोग किए जाने की जरूरत है। अंग्रेजों के समय में लिखी गई बहुत सी पाण्डुलिपियां अभी भी शेष है और कुछ लिखने वाले इस दुनिया में नहीं है मगर जो है उस पांडुलिपि की खोज होना जरूरी है। खोज होने से इसके संबंध में कई और जानकारियां भी सामने आयेगी। सरकार को चाहिए पांडुलिपि की खोज कराएं। आजादी के पूर्व खरौद (शिवरीनारायण) निवासी कपिल नाथ मिश्रा ने छत्तीसगढ़ी में खुसरा चिरई के बिहा नामक पुस्तक लिखी जो काफी प्रसिद्ध रही। बिलासपुर निवासी पालेश्वर शर्मा ,उरगा कोरबा के मंगत रवींद्र समेत कई विद्वानों ने छत्तीसगढ़ी शब्द कोश व व्याकरण लिखा। छत्तीसगढ़ी राजभाषा के प्रचार-प्रसार में बिलासपुर के नंदकिशोर शुक्ला की भूमिका अविस्मरणीय है।

चिंतन हुआ है जिसके परिणामस्वरूप भाषा के प्रति लोगों का रूझान बढ रहा है।अब छत्तीसगढ़ी काव्य रचना, छंद, ग़ज़ल, कविता, गीत लिखी जा रही है अर्थात शिल्प में भी काफी सुधार हो रहा है। छत्तीसगढ़ी में नये-नये शब्द लिखे जा रहे हैं, पर पुराने शब्द नदारद हो रहे हैं,जो भाषा के प्रति चिंता का विषय है। उदाहरण के तौर पर ÷अटवा÷, 'मतावल', 'रापा' जैसे शब्दों से आज की पीढ़ी अनजान है। छत्तीसगढ़ी शब्द कोश को स्कूली शिक्षा तथा सरकारी कामकाज में अधिकाधिक रूप में प्रयोग किए जाने की जरूरत है। अंग्रेजों के समय में लिखी गई बहुत सी पाण्डुलिपियां अभी भी शेष है और कुछ लिखने वाले इस दुनिया में नहीं है मगर जो है उस पांडुलिपि की खोज होना जरूरी है। खोज होने से इसके संबंध में कई और जानकारियां भी सामने आयेगी। सरकार को चाहिए पांडुलिपि की खोज कराएं। आजादी के पूर्व खरौद (शिवरीनारायण) निवासी कपिल नाथ मिश्रा ने छत्तीसगढ़ी में ÷खुसरा चिरई के बिहा÷ नामक पुस्तक लिखी जो काफी प्रसिद्ध रही। बिलासपुर निवासी पालेश्वर शर्मा ,उरगा कोरबा के मंगत रवींद्र समेत कई विद्वानों ने छत्तीसगढ़ी शब्द कोश व व्याकरण लिखा। छत्तीसगढ़ी राजभाषा के प्रचार-प्रसार में बिलासपुर के नंदकिशोर शुक्ला की भूमिका अविस्मरणीय है। छत्तीसगढ़ी को राजकाज की भाषा बनाने के लिए शासन-प्रशासन,विचारक, समाज के प्रबुद्ध वर्ग समेत सभी लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी हो। भाषा की सार्थकता के लिए शीघ्र ही संविधान की 8 वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की जरूरत है।

पाठकों की बात

पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

तेरी रूह में बसी

तेरी रूह में बसी आरज़ू हूँ कोई मैं हवाओं में फैली खुशबू हूँ कोई.. ताउम्र भूल न पाओगे जिसे मैं वो बेमिसाल गुफ्तगू हूँ कोई.. पल भर का भरोसा नहीं ए जिंदगी ! फिर भी तेरी जुस्तजू हूँ कोई.. लफ्जों का कई की बार तकाज़ा है किया फिर भी खामोशियों से रूबरू हूँ कोई.. गुमशुदगी के शरारों ने तबाह था किया तेरे ख्यालों में खिला तबस्सुम हूँ कोई।

– सीमा भाटिया

आपके समस्त

आपके समस्त पलायन और मुक्ति की योजनाएं आपको एक नए संघर्ष में डालते है। संघर्ष नैसर्गिकता से सरलता से संघर्ष प्रकृति से। वास्तव में मुक्ति अवश्य ही एक ऐसी अवस्था है जो अंदर घटित होती है बाहर नही। हुआ यूं कि जिस से मन हटाया फिर मन मे वही पाया।

– कुलदीप वर्मा

ख़ास पाती | संशय के जाल बुने घने

संशय के जाल बुने घने हैं, साहस कर अब लांघे कौन। धन वैभव सब जांच रहे हैं, हृदय की पीड़ा, बाँचे कौन॥ सौ का फेर लगा जीवन में, ताक टंगे हैं रिश्ते सब। सूख रहे भावों की नदिया, होंगे खत्म ये किस्से कब। नहीं प्रवाहित पवन प्रफुल्लित, बाधित सांस को साधे कौन धन वैभव सब जांच रहे हैं, हृदय की पीड़ा, बाँचे कौन॥ चुभते शूल से झरते अक्षर, मर्यादा का मोल नहीं है। प्रतिकूल दिशा मे वो अग्रसर, जैसे पृथ्वी गोल नहीं है।। सब कहते हम यहीं अटल हैं,पथ के मध्य से भागे कौन धन वैभव सब जांच रहे हैं, हृदय की पीड़ा, बाँचे कौन॥ – गजेन्द्र द्विवेदी गिरीश

आज भी गर उसे सोचा जाए दिल ये

आज भी गर उसे सोचा जाए दिल ये इक बार तो पगला जाए इक जगह टिक के न बैठा जाए दिल परिन्दा है जो उड़ता जाए आब ही आब नज़र आएगा सहरा गर दूर से देखा जाए फ़ुर्सतों में भी न याद आई उसे इसका क्या अर्थ निकाला जाए दर्मियां अपने नहीं था कुछ भी आख़िरी सच यही माना जाए ज़ीस्त इक भूल भुलैया है और रहनुमा भी हमें भटका जाए चाँद रुख़सत हो चुका है कब का यार अब तो चलो सोया जाए एक इस इश्क़ के पीछे आख़िर और कितना यूँ ही भागा जाए रंग तो घर का बदल देंगे 'सुमन ' संग-ए-बुनियाद न बदला जाए। – चित्रा भारद्वाज

कोई वादा ना कर कोई इरादा

कोई वादा ना कर कोई इरादा ना कर ख्वाहिशों में खुद को आधा ना कर ये देगी उतना ही जितना लिख दिया परमात्मा ने इस तकदीर से उम्मीद ज़्यादा ना कर जिन्दगी की हर सुबह कुछ शर्ते लेके आती है। और जिन्दगी की हर शाम कुछ तर्जुबे देके जाती है।- पितांबर श्रीवास्तव

क़रार दिल को नहीं और बेक़रारी

क़रार दिल को नहीं और बेक़रारी भी नहीं , यह बाज़ी जीती नहीं हमने और हारी भी नहीं ; न दिल के पास हो तुम ,और न दूर आँखों से , उम्र तो कट गई ,मगर हमने गुज़ारी भी नहीं ; अजब उदासी है आँखों में ,दिल भी भारी है , मगर इन आँखों में मुहब्बत की खुमारी भी नहीं ; अज़ब सी आग में तपता है यह बदन सारा , कोई भी रोग नहीं कोई बीमारी भी नहीं ; न तो पाने की ख्वाहिश ,न ही खोने का डर अजब सी बेदिली है मगर बेज़ारी भी नहीं। – अनु मित्तल

कैसे तुम्हें बतायें कैसा घाव दिया

कैसे तुम्हें बतायें कैसा घाव दिया है अपनों ने। घोंप पीठ में खंजर रिश्ता चाक किया हैअपनों ने । इतना जहर पिलाया रंगत रिश्ते की नीलाभ हुई। हरी-भरी धरती को , विष से पाट दिया है अपनों ने।

– चंद्रलता यादव

पत्नी बोली सुन अभी जीवन

पत्नी बोली सुन अभी, जीवन प्राणाधार । मयको को जाना हमें ,वाहन करो तयार ।। वाहन करो तयार, ढंग से गाड़ी धोना । छिड़को खुशबूदार , इत्र महकाओ कोना ।। देख रहा था ख्वाब, सुनहरा आंखे खोली । सोया गहरी नींद , जगाकर पत्नी बोली ।।

– अजय मिश्रा अभिज्ञ

मन के निर्मल होने से जीवन

मन के निर्मल होने से जीवन सुखमय होगा। प्रेम भाव सब पर रखने से मन प्रसन्न होगा। राहें मुश्किल हों तब भी मुस्कराना न छोड़ें। रातें चाहे लंबी जितनी सूरज निश्चित होगा।।

– रश्मि ठाकुर

QUIZ TIME

1) किस प्रसिद्ध विद्वान ने 1674 ई. में शिवाजी का राज्याभिषेक किया था?
2) 'ज्ञानेश्वरी ' जिसे 'मराठी गीत' कहा जाता है, जिसका पहला विश्वस्त संस्करण किसने प्रकाशित करवाया था?
3) मुगल काल में विकसित भारतीय शैली के प्रवर्तक कौन थे?
4) भारत में उपराष्ट्रपति को सदन में मतदान करने का अधिकर नहीं होता क्योंकि-
5) चित्रकला शैली का नाम बताइए?

Ramaquiz

उत्तरमाला- (1) गागाभट्ट (2) एकनाथ (3) अब्दुस समद (4) वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता (5) किशनगढ़ शैली

आज का इतिहास

नई दिल्ली (वार्ता)। 1001- हिंदूशाही शासक जयपाल को आक्रमणकारी महमूद गजनी ने हराया। 1095- पोप अर्बन द्वितीय ने पहले क्रूसेड(धर्मयुद्ध) का उपदेश दिया। 1237- रोमन सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय ने कोर्तेनुओवा के युद्ध में लोंबार्डियन लीग को हराया। 1795- पहले बांग्ला नाटक का मंचन हुआ। 1807- पुर्तगाल के शाही परिवार ने नेपोलियन की सेना के भय से लिस्बन छोड़ा। 1815- पोलैंड साम्राज्य ने संविधान अपनाया। 1895- अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की। 1912- अल्बानिया ने राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। 1932- पोलैंड और तत्कालीन सोवियत संघ ने अनाक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर किया। 1940- कराटे के महान खिलाड़ी एवं अभिनेता ब्रूस ली का जन्म हुआ। 1952- हिन्दी फिल्मों के एक प्रसिद्ध संगीतकार बप्पी लाहिड़ी का जन्म। 1966- उरुग्वे ने संविधान अपनाया। 1986- भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना का जन्म। 2008- भारत के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का निधन। 2011- प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतकार सुल्तान खान का निधन। 2014- ऑस्ट्रेलिया के 25 वर्षीय बल्लेबाज फिलिप ह्यूज घरेलू मैच में गेंद लगने से चोटिल हो गए। सर्जरी के बावजूद उनका निधन हो गया।

■ न्यूज गैलरी

चिटफंड कंपनी से राशि वापस मिलने पर मुख्यमंत्री को अंकित ने कहा शुक्रिया

राजनांदगांव। राजनांदगांव के अंकित श्रीवास्तव ने अपने एजेंट मित्र से व्यक्तिगत संबंध पर भरोसा करते हुए चिटफंड कंपनी के धोखाधड़ी के शिकार हुए। अपने मन की बात साझा करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने इस कंपनी में काफी राशि लगाई थी, जो डूब गई। छले जाने का दुख कैसा होता है यह महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि कभी किसी के साथ जीवन में ऐसा न हो। अपने जीवन भर की संपत्ति, जमा पूंजी लोगों ने चिटफंड कंपनी में लालच में आकर निवेश की थी। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि कभी यह राशि मिल जाएगी। अचानक यह राशि मिलने पर अंकित ने बहुत खुशी और राहत महसूस की। उन्होंने कहा कि आगे भी शेष राशि मिलने की आशा है। अंकित ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिटफंड कंपनी से ठगे ऐसे लोगों की राशि वापस दिलाकर बड़ी मदद की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को 75 हजार रूपए की राशि वापस मिलने पर शुक्रिया किया और कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी के झांसे में लालच में आकर अपने जीवन भर की पूंजी चिटफंड कंपनियों में न लगाएं। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के सदस्यों श्रीमती उषा श्रीवास्तव, श्रीमती मानसी श्रीवास्वत एवं श्रीमती सत्यम सिन्हा ने भी राशि लगाई थी, जो उन्हें वापस मिल रही है।

महापौर ने किया कैलाश नगर उद्यान निर्माण का भूमिपूजन, मितानिनों का हुआ सम्मान

राजनांदगांव। महापौर श्रीमती हेमा सुदेश देशमुख द्वारा वार्ड नं. 30 कैलाश नगर में अधोसंरचना मद अंतर्गत 11 लाख रूपये की लागत से उद्यान निर्माण कार्य का भूमिपूजन पूजा अर्चना कर श्रीफल फोड़ कर किया गया। इस अवसर पर छग खादी ग्रामोद्योग के सदस्य श्रीकिशन खण्डेलवाल, नगर निगम अध्यक्ष हरिनारायण पप्पू धकेता, वरिष्ठ पार्षद कुलबीर सिंह छाबडा, स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सदस्य गणेश पंवार, वार्ड पार्षद एवं जिला योजना समिति के सदस्य अमीन हुद्दा, पार्षद मती दुलारी बाई साहू सहित सूर्यकांत जैन, पार्षद प्रतिनिधि सचिन टुरहाटे, दिग्विजय कॉलेज जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष रईस अहमद शकील विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में वार्डवासियों द्वारा अतिथियों का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया। तत्पश्चात अतिथियों द्वारा उद्यान निर्माण कार्य का पूजा-अर्चना कर, श्रीफल फोड़ कर, गैती चलाकर भूमिपूजन किया गया। इस अवसर पर मितानिनों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि वार्डवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये अधोसंरचना मद अंतर्गत उद्यान का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें बाऊंड्रीवाल, पाथवे, लॉन, बैठक व्यवस्था, विद्युत कार्य एवं जीम उपकरण लगाया जायेगा। उद्यान के बन जाने से वार्ड के वासियों को मनोरंजन के लिये एक अच्छा स्थान मिल जायेगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में आज मितानिनों का सम्मान भी किया जा रहा है। मितानिने सरकार की योजनाओं को घर घर जाकर लोगो को अवगत् कराते है, जिससे उन्हे लाभ मिल सकें। इस अवसर पर वार्ड के विमल अग्रवाल, नितिन सिंह भाटी, मनोज अग्रवाल, अतुल अग्रवाल, मिथलेश जैन, मनोज बैद, राजा भाटिया सहित वार्डवासी उपस्थित थें।

चिटफंड कंपनी में डूबी जमा पूंजी मिलने पर गिरधारी के जीवन में आई उम्मीद की रोशनी

राजनांदगांव। डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम टप्पा कोलिहापुरी के गिरधारी लाल साहू के जीवन में उम्मीद की रोशनी आई है। उन्होंने बताया कि चिटफंड कंपनी याल्स्को में उन्होंने अपने खेत का विक्रय कर मिली राशि 5 लाख रूपए लगाई थी। चिटफंड कंपनी याल्स्को में उनके रिश्तेदार कार्य करते थे। उन्होंने गिरधारी को इस कंपनी में राशि निवेश करने के लिए कहा। गिरधारी ने बताया कि अपने रिश्तेदार की बातों में आकर तथा लालच के कारण उन्होंने इतनी बड़ी राशि इस धोखाधड़ी में गवां दी थी। गिरधारी ने कहा कि जीवन भर की जमा पूंजी के डूबने से आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत नुकसान हुआ और हमने यह राशि मिलने की आशा छोड़ दी थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर पहले 50 हजार रूपए की राशि तथा दोबारा 1 लाख 50 हजार रूपए की राशि कुल अब तक 2 लाख रूपए प्राप्त हो गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को तहेदिल से धन्यवाद देते हुए कहा कि यह राशि मिलने पर राहत महसूस कर रहे हैं और उम्मीद है कि शेष राशि भी मिल जाएगी। अनापेक्षित रूप से यह राशि मिलने पर गिरधारी की पत्नी श्रीमती शारदा एवं परिवार में बहुत खुशी है। उन्होंने बताया कि वे इस दौरान मानसिक रूप से काफी परेशान रहे और इस आर्थिक क्षति से उबरने के लिए वे रायपुर में दाल मील में कार्य करने लगे।

छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ के धरना-प्रदर्शन को लेकर संपर्क अभियान जारी

खरोरा। छत्तीसगढ व्याख्याता संघ के प्रांतीय आह्वान पर प्राचार्यो की पदोन्नति सूची जारी करने,सहायक शिक्षको को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय समयमान वेतनमान मे 5600 रू ग्रेड पे एवं सीधी भर्ती के व्याख्याताओ को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 7600 रू ग्रेड पे प्रदान करने,आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के नाम पर हिन्दी माध्यम स्कूलो को बंद नही करने सहित अन्य लंबित मांगो को लेकर आयोजित 3 दिसंबर के राज्य स्तरीय धरना-प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए लगातार संपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं इसी कड़ी मे,प्रांतीय संयुक्त सचिव दिलीप कुमार राहंगडाले,प्रांतीय सचिव माणिक लाल मिश्रा एवं आरंग विकास खंड के नवनियुक्त अध्यक्ष गोपत राम टंडन ने भरत देवांगन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरोरा,उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोसरंगी,बनरसी ,गुल्लू के व्याख्याता साथियों से भेंटकर 3 दिसंबर के धरना-प्रदर्शन को सफल बनाने का आह्वान किया संपर्क के दौरान व्याख्याताओ में पदोन्ति एवं अन्य लंबित मांगो को लेकर आक्रोश दिखाई दे रहा है साथ ही धरना-प्रदर्शन को लेकर भारी उत्साह के साथ ससमर्थन व्यक्त कर रहें हैं ।

पीएमजीएसवाई चौड़ीकरण: उखड़ती परतों से खुलने लगी भ्रष्टाचार की कलई

देवभोग। वनांचल क्षेत्र की दूरस्थ गांव को चौड़ीकरण के साथ मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चौड़ीकरण के लिए करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है। लेकिन इन करोड़ों रुपए का शत प्रतिशत इस्तेमाल सड़क चौड़ीकरण पर नहीं हो पाता। मतलब क्षेत्र में चौड़ीकरण कार्य भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहा है। कुछ इस तरह सीनापाली से गोहरापदर तक पीएमजीएसवाई विभाग ठेकेदार द्वारा किए चौड़ीकरण में देखने को मिल रहा है । यह सड़क करीब 2 माह पहले चौड़ीकरण किया गया । अब सड़क में इस्तेमाल मटेरियल उखड़ने के अलावा चौड़ीकरण सड़क दबने भी लगा है। जिसे देख ग्रामीण चौड़ीकरण कार्य में भ्रष्टाचार का बंदरबांट का आरोप भी लगा रहे हैं ।

वर्तमान में सड़क की हालत इस तरह देखने को मिल रही है तो आगामी महीनों में सड़क चौड़ीकरण की दुर्दशा का आकलन किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार 10 करोड़ की अधिक लागत से गोहरा पदर सीना पाली तक चौड़ीकरण कार्य स्वीकृत किया गया। महीनों बाद चौड़ीकरण पूर्ण हो पाया। वह भी खानापूर्ति की तरह सड़क चौड़ीकरण को अंजाम दिया गया। बता दें कि खजूरपदर आडपथर मुचबहल धोवनमाल सहित 12 गांव के हजारों लोग इस सड़क पर रोज आवागमन करते हैं। बावजूद इसके चौड़ीकरण कार्य पर जिम्मेदार अधिकारियों के देखरेख में भ्रष्टाचार की बली चढ़ गया ।

शायद यही वजह है कि पीएमजीएसवाई के सड़क चौड़ीकरण को लेकर तरह-तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्योंकि महज दो माह पहले बनी सड़क चौड़ीकरण की मटेरियल उखड़ने के साथ सड़क किनारे किनारे लगने लगा है। ऐसे में यह सड़क चौड़ीकरण लंबे समय तक टिकना मुश्किल बताया जाता है। गुणवत्ताहीन मटेरियल के इस्तेमाल का असर अभी ही दिख रहा है। हालांकि ऊपर-ऊपर सड़क चौड़ीकरण चकाचक दिखाई पड़ रहा है। मगर पूरी स्थिति चौड़ीकरण कार्य के भीतर उपयोग मटेरियल से साफ नजर आता है । ग्रामीणों की माने तो इस सड़क की व्यस्तता को देख सड़क चौड़ीकरण के दौरान ठेकेदार के कर्मचारियों को कई बार गुणवत्ता पूर्वक कार्य करने के लिए कहा गया। इसके विपरीत चौड़ीकरण कार्य में अधिक मुनाफा कमाने की लालसा मैं पूरी गुणवत्ता को दरकिनार कर दिया गया। अब इसका खामियाजा रास्ते का प्रयोग करने वाले लोगों को कुछ माह बाद भुगतना पड़ सकता है

> मुझे भी सड़क चौड़ीकरण अनियमितता को लेकर ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई है जिसकी जांच एवं कार्यवाही के लिए विभागीय अफसरों को पत्र लिखा जाएगा।
>
> **डमरूधर पुजारी,** विधायक
>
> इस संबंध में पीएमजीएसवाई इंजीनियर से पक्ष जानना चाहा मगर उनका नंबर स्विच ऑफआया ।

पदुमतरा परिक्षेत्रीय साहू समाज शपथ ग्रहण समारोह, संपन्न गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू हुए शामिल

राजनांदगांव। परिक्षेत्रीय साहू समाज पदुमतरा शपथ ग्रहण समारोह गरिमामय एवं भव्य कार्यक्रम के रूप में किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि लोक निर्माण गृह जेल एवं पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू एवं अध्यक्षता अनुसूचित जाति ग्रामीण विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं विधायक डोंगरगढ़ भुनेश्वर बघेल ने किया। विशेष अतिथि थानेश्वर साहू अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग, कमल किशोर साहू अध्यक्ष जिला साहू संघ, भागवत साहू अध्यक्ष तहसील साहू संघ, पदम कोठारी अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, मोतीलाल साहू कोषाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, रतन यादव अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी घुमका, कुलेश्वर वर्मा अध्यक्ष वृत्ताकार सेवा सहकारी समिति पदुमतरा, गणेश राम साहू जनपद सदस्य, ललिता टार्जन साहू जनपद सदस्य, लिखन साहू उपाध्यक्ष तहसील साहू संघ, गिरीश साहू उपाध्यक्ष तहसील साहू संघ, मुरलीधर साहू कोषाध्यक्ष तहसील साहू संघ, पंकज बाधव चंद्रेश वर्मा, सौरभ वैष्णव, जय कुमार वर्मा, गिरीश साहू, नोमेश वर्मा अध्यक्ष सरपंच संघ, सरपंच श्रीमती ललिता साहू, गोपी राम साहू, उमेंद्र राम साहू थे।

सर्वप्रथम मां कर्मा की आरती के बाद नवनियुक्त परिक्षेत्रीय साहू समाज के पदाधिकारियों को तहसील अध्यक्ष भागवत साहू द्वारा शपथ दिलाया गया। तहसील साहू संघ दिलीप कुमार साहू द्वारा पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। पदुमतरा के पूर्व मंडल पदाधिकारियों को भी वस्त्र एवं श्रीफल से सम्मान किया गया। सभी अतिथियों को परिक्षेत्रीय साहू संघ द्वारा प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया।

मुख्य अतिथि ताम्रध्वज साहू ने अपने संबोधन में कहा कि साहू समाज सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करें, सबको साथ लेकर चलने फिजूलखर्ची से बचने की बात कही।

सरपंचों का त्रिदिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण 27 नवंबर तक

कोरिया । प्रभारी अधिकारी(डीपीआरसी) जिला पंचायत ने बताया कि पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के निर्देशानुसार विकासखण्ड बैकुण्ठपुर के निर्वाचित पुरूष वर्गो के सरपंचों की आधारभूत त्रिदिवसीय प्रशिक्षण, लाईवलीहुड कॉलेज सलका में 25 नवंबर को प्रारंभ हुई। यह प्रशिक्षण जिला पंचायत संशाधन केन्द्र के तत्वावधान में प्रारंभ की गई है। जो 27 नवंबर तक आयोजित की जावेगी।

महिला बुजुर्गों नें दिया जागरूकता का परिचय

■ बड़ी संख्या में विद्युत कर्मचारियों ने लगवाया वैक्सीन

कवर्धा । विशेष टीकाकरण सप्ताह में कोरोना के प्रति जागरूकता का परिचय देते हुए तीजन बाई 75 वर्ष, चंद्रिका सिन्हा 71 वर्ष सहित अनेक बुजुर्ग अपने परिजनों के के साथ कोरोना का टीका लगवाने निकटतम के प्राथमिक स्वास्थ केंद्र इंदौरी पहुंचे ।

इसी तारतम्य में विद्युत विभाग इंदौरी के कर्मचारी विश्राम सागर मेरावी, योगेंद्र कुमार मरावी, मनोज कुमार चंद्रवंशी, अश्वनी कुमार साहू, आशीष कुमार छेदावी और ओमप्रकाश नेताम को पहली बार कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इंदौरी पहुंचे।

इन सभी को स्टाफ नर्स श्रीमती बालेश्वरी साहू और वरिष्ठ स्वास्थ्य कार्यकर्ता व वेक्सीन व्यवस्थापक पुरुषोत्तम जायसवाल के द्वारा कोवैक्सीन लगाया गया तथा दूसरे डोज के लिए किस दिन आना है इसकी भी समझाइश संबंधितो के द्वारा दी गई।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा के आदेश और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ एस के मंडल के निर्देश पर पूरे जिले में 22 तारीख से विशेष टीकाकरण सप्ताह मनाया जा रहा है। उक्त जानकारी स्वास्थ्य केंद्र के आरएमए प्रशांत राय ने दी।

सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की गई चालानी कार्रवाई

सिकोसा। बालोद पुलिस के मार्गदर्शन में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक बालोद श्री सदानन्द कुमार (भा.पु.से.) के निर्देश पर वाहनों की जांच कर मोटर वेहिकल एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। जिसके तारतम्य में थाना डोंडी के मथाई चौक पर नगर पुलिस अधीक्षक मनोज तिर्की की उपस्थिति में निरीक्षक अनिल ठाकुर के द्वारा छोटी बड़ी वाहनों की जांच की गई। यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे एवं खतरनाक ढंग से वाहन चला रहे वाहन चालकों पर कुल 8 चालानी कार्यवाही की गई, जिसमे कुल 3 हज़ार रु समन्स शुल्क की वसूली की गई । इसके अलावा एक ट्रक चालक द्वारा शराब पीकर वाहन चलाया जा रहा था, जिस पर चालक का डॉक्टरी मुलाहिजा कराया जाकर ट्रक जप्त किया गया, जिसे माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।

विदित हो कि कुछ दिनों पूर्व कलेक्टर बालोद जनमेजय महोबे (भा.प्र.से.) द्वारा सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली गई थी जिसमे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया था तथा नगर पुलिस अधीक्षक मनोज तिर्की के द्वारा ट्रांसपोर्ट यूनियंस के पदाधिकारियों की मीटिंग लेकर वाहन चालकों पर नियंत्रण रखने की समझाइस दी थी । इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक राजहरा मनोज तिर्की के द्वारा बताया गया कि यातयात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्यवाही लगातार जारी रहेगी ।

स्वच्छता के क्षेत्र में नगर पंचायत गंडई को मिला स्वक्षता अवार्ड

गंडई पंडरिया। नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा आयोजित स्वक्षता का हैट्रिक महोत्सव सम्मान कार्यक्रम का आयोजन राजधानी रायपुर के बेबीलान इंटरनेशनल होटल रायपुर में 23 नवम्बर मंगलवार को दोपहर किया गया था,इस कार्यक्रम में स्वक्षता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के हाथों गंडई को अवार्ड प्राप्त हुआ है, अवार्ड लेने वाले सी एम ओ प्रमोद शुक्ला ने बताया कि नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियो सफाई कर्मचारियों स्वक्षता दीदियों ने स्वक्षता के लिए बेहतर कार्य किया है।इसके फलस्वरूप पूरे प्रदेश में नगर पंचायत को 38वा रैकिंग एवं प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रधानमंत्री अवार्ड में मोमेंटो एवं प्रतीक चिन्ह से सम्मान किया गया है। कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन के सचिव अलरमेलमंगई डी ,राज्य शहरी विकास अभिकरण के सी ई ओ सौमिल रंजन चौबे,सी एम ओ प्रमोद कुमार शुक्ला ,नगर पंचायत अभियंता रूपेश राठिया,व अन्य मौजूद रहे।

मितानिन दिवस के अवसर पर मितानिन दीदीयों का सम्मान

खरोरा। 23 नवंबर मितानिन दिवस के अवसर पर ग्राम बुड़गाहन सुंदरा और ईल्दा पंचायतों के मितानिन दीदीओ को जनपद सदस्य श्री शेखर यादव जिला कार्यकारिणी सदस्य श्री खिलेश साहू बुड़गाहन सुंदरा सरपंच श्री रामस्नेही वर्मा सचिव श्री केसराम साहू व पंच गण और ग्राम पंचायत ईल्दा सरपंच श्री दुलेश गिलहरे सचिव श्री कार्तिक राम वर्मा व पंच गण की उपस्थिति में मितानिन दीदीयों को गुलाल लगाकर श्रीफल साड़ी भेंट किया गया व उनके द्वारा किया गया सराहनीय कार्यों जैसे घर घर (लॉकडाउन)में जाकर पूरे ग्रामीणों का हाल-चाल शासन प्रशासन तक पहुंचाया जरूरतमंदों को दवाइयां वितरण एवं वैक्सीनेशन (कोविड-19 टीका करण)के लिए अपने अपने गांव को जागृत किया जिसकी प्रशंसा जनपद सदस्य शेखर यादव द्वारा किया गया जिसमें टीकाकरण पर उपस्थित डॉक्टर सिस्टर व ग्राम वासी उपस्थित रहे साथ ही मंच पर उपस्थित रहे जिला कार्यकारिणी सदस्य श्री खिलेश साहू ने मितानिन दीदीयों द्वारा धुआं मुक्त चूल्हा बनाए जा रहे हैं और आगे हर घर पर धुआं मुक्त चूल्हा बनाने की इस योजनाओं के लिए धन्यवाद शुभकामनाएं दिया गया द्य

संकुल स्तरीय प्रदर्शनी कबाड़ से जुगाड़ का सफल आयोजन

खरोरा। संकुल केंन्द्र - गनियारी के छात्रों के द्वारा कम खर्च पर वैज्ञानिक सोच को विकसित करने के उद्देश्य से स्कुल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त निर्देशों के अधीन तिल्दा विकास खंड के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गनियारी में संकुल स्तरीय 'कबाड़ से जुगाड़ अर्थात अनुपयोगी वस्तुओ का बेहतर ढंग से शैक्षणिक सहायक सामग्री निर्माण कर प्रदर्शनी सह प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया जिसमें संकुल के शालाओ से सम्मिलित प्रतिभावान छात्रों ने शिक्षकों के मार्गदर्शन से विज्ञानं, भूगोल, गणित, व पर्यावरण के सिद्धांतो व आधुनिक तकनीक पर आधारित मशीनो, यंत्रो व कलाकृति से सम्बंधित एक से बढकर एक चलित मॉडल का प्रदर्शन करते हुए प्रस्तुतिकरण दिया !

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में छत्तीसगढ़ सरकार सभी वर्गो के विकास व उनके आर्थिक उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है : ताम्रध्वज साहू

उतई। ग्राम अंडा से मिनीमाता पुलगाँव तक फोर लेन मार्ग निर्माण का शुभारंभ पी डब्ल्यू मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भूमिपूजन कर निर्माण कार्य का किया शुभारंभ

ग्राम अंडा से मिनीमाता पुलगाँव तक फोर लेन मार्ग निर्माण का शुभारंभ ग्राम अंडा अटल चौक में किया गया । इस कार्यक्रम के मुख्यअतिथि मंत्री लोकनिर्माण, गृह,जेल ,धर्मिक न्याश एवं धर्मस्व व पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू थे।

अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष शालनी रिवेंद्र यादव,विशेष अतिथि युवा आयोग अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार, पूर्व सभापति केशव बंटी हरमुख,प्रदेश महासचिव जितेंद्र साहू,जिला पंचायत कृषिसभापति योगिता चन्द्राकर, जनपद उपाध्यक्ष झमित गायकवाड़,जनपद सदस्य मनीष चन्द्राकर, जिला किसान अध्यक्ष पुकेश चन्द्राकर, ब्लॉक अध्यक्ष नंदकुमार सेन,सरपँच ग्राम पंचायत अंडा उमादेवी ,विधयाक प्रतिनिधि डॉ पिलेश्वर साहू, प्रदीप चन्द्राकार ,उपस्थित थे।

कार्यक्रम की शुरुआत युवा कांग्रेस दिग्विजय सिन्हा, प्रांजल चन्द्राकर के नेतृत्व में लगभग 200 मोटरसाइकिल रैली पुलगाँव मिलमाता चौक से अटल चौक रैली व भव्य आतिषबाजी के माध्यम से मंत्री का शानदार स्वागत हुआ ततपश्चात ग्राम अंडा में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक नृत्य आदिवासी नृत्य शिहवा नगरी धमतरी, राऊत नृत्य टुरीपार जिला राजनांदगांव एवं पंथी नृत्य बोरसी जिला दुर्ग की शानदार नृत्य करते हुऐ सभी अतिथियों स्वागत किया गया।

ग्राम पुरोहित महेन्द्र पांडेय के विधिवत पूजा अर्चना कर भूमिपूजन किया गया।

जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष पुकेश चन्द्राकर के नेतृत्व में मंत्री श्री साहू को किसान गमछा भेंट कर सम्मानित किया गया साथ सभी कार्यकर्ताओं ,युवाओं व महिलाओं को भी गमछा भेट कर सम्मानित किया गया। स्वागत भाषण व सड़क निर्माण कार्य की रूपरेखा मुख्य अभियंता लोकनिर्माण विभाग विजय कुमार भतपहरी ने दी । उन्होंने बताया कि यह फोर लाईन सड़क मिनीमाता चौक से ग्राम अंडा तक लंबाई 12 किलोमीटर तक बनेगा जिसकी लागत 100 करोड़ 34 लाख की है। जिसका शुभारंभ हो चुका है यह निर्माण मार्च 2023 तक पूर्ण होने की बात कही।

कार्यक्रम के मुख्यअतिथि ताम्रध्वज साहू ने अपने उद्बोधन में कहा कि पिछले 3 वर्षों में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में विकास की नई परिभाषा लिखी है। नए-नए प्रतिमान बनाए हैं। हम विकास की गति को और तेज करेंगे तथा वर्ष 2023 तक छत्तीसगढ़ को सड़क की समस्या से मुक्त कर देंगे। हमने एक ही फार्मूला तय किया है कि काम की गुणवत्ता बनी रहे औऱ लोगो को आवागमन की सुविधा मिले।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में छत्तीसगढ़ सरकार सभी वर्गो के विकास व उनके आर्थिक उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार की योजनाओं से माध्यम से आमजनों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। रोजगार के अवसर बढ़े हैं व लोगों का जीवन स्तर उठा है। भविष्य में विकास के सभी क्षेत्रों में दुर्ग की अपनी एक अलग पहचान होगी। उन्होंने बताया कि दुर्गग्रामीण विधानसभा में मुझे पहेली बार अपने घर मे सेवा करने का मौका मिला है जंहा निरतंर विकास की नई नई योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है। सभी सड़कों को टू लाईन सड़क बनाया जा रहा है । ओवरब्रिज भी इस क्षेत्र बनायें जा रहे है। आप सभी एक साथ मिलकर भाई चारे से रहें एक सुंदर गाँव विकास में अपना सहयोग प्रदान कर एक अच्छा वातावरण बनायें।

डीएमओ ने अपने भाई-पिता के नाम पर जारी किया लाखों रुपए, सीएम से हुई 7 बिंदुओं में शिकायत

देवभोग। गरियाबंद डीएमओ द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर उपार्जन केंद्र की धान में रखरखाव सहित अन्य खर्च बता कर भाई और पिता के नाम लाखों रुपए जारी कर आर्थिक लाभ पहुंचाने का मामला प्रकाश में आया है। बकायदा इसकी 7 बिंदुओं पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को शिकायत पत्र भेजकर कार्यवाही की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भूपेंद्र माझी के शिकायत पत्र अनुसार गरियाबंद डीएमओ अमित चंद्राकर द्वारा कांटा तार,10 बोरी सीमेंट, 1 ट्रैक्टर गिट्टी, सीमेंट पोल, मजदूरी एवं अन्य कार्य बताकर आयु हार्डवेयर के के प्रोपराइटर अमित चंद्राकर के पिता नंद कुमार चंद्राकर के नाम पर 1 लाख 82 हजार 50 रुपए का चेक के माध्यम से राशि जारी किया गया है। इसके अलावा डीएमओ के भाई अमर कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत 65 मुरमी का 26 हजार और 58 घंटा जेसीबी इस्तेमाल का 87 हजार के बिल का राशि जारी किया गया है। जबकि मार्केट में जेसीबी का प्रति घंटा 1 हजार से 12 सौ रुपए निर्धारित है। मतलब सिर्फ कागज पर बनी बिल के सहारे जिला विपणन अधिकारी अमित चंद्राकर ने अपने पिता और के खाते में 4 लाख 17 हजार रुपए का भुगतान चेक के माध्यम से कर दिया है। इसके साथ बैंक गारंटी क्रमांक 57811 तक्क्षत्रहहह 821 रुपए 10 लाख की है। जिसे एक करोड रुपए ऑनलाइन एंट्री किया गया है। अपने जान पहचान अमीन ट्रेडर्स द्वारा प्रस्तुत बिल के आधार पर राशि ऑनलाइन किया है। मतलब बैंक गारंटी के माध्यम से बैंक को

कमीशन के रूप में शासन को अधिक धान उठाओ एवं मिलिंग चार्ज के रूप में लाखों का नुकसान पहुंचाया गया है। इसी तरह बैंक गारंटी क्रमांक श्रष्ट 15906 (721) जो कि 10 लाख है। उसे ऑनलाइन माड्ल में एक करोड़ अजमेरी ट्रेडर्स द्वारा प्रस्तुत बिल पर ऑनलाइन चढ़ाया गया है । ऐसे ही तीसरा बैंक गारंटी क्रमांक 87511तक्क्षत्रहहह21 पर 20 लाख की गई है । और इसे भी दो करोड़ ऑनलाइन चढ़ाया है। ऐसे 7 बिंदुओं पर भूपेश बघेल के नाम पर पत्र भेजा गया है। दस्तावेज देख प्रथम दृष्टि पर हेरफेर की पुष्टि आसानी के साथ किया जा रहा है। क्योंकि डीएमओ द्वारा कुंडेलभाटा फड़ में जनरेटर के नाम से प्रतिमा 10-10 हजार एवं साफ सफ ई का बिल लगाकर हजारों रुपए निकाला गया है। विभागीय जानकारों की माने तो यह पहला मामला है जहां इतनी बड़ी लागत में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। तभी जिला विपणन अधिकारी पर अपने पिता भाई सहित करीबियों को लाभ दिलाने के लिए नियम कानून की पूरी सीमा लांघने का आरोप लगाया जा रहा है। शायद यही वजह है की इसकी शिकायत सीधा मुख्यमंत्री से होने की बात कही जाती है। क्योंकि मामला को दबाने में पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं होने की आशंका पर इसकी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से की गई है।

> मैं अभी कहीं बाहर हूं। ऑफिस पहुंच कर पूरी जानकारी देता हूं।
>
> **अमित चंद्राकर,** डीएमओ
>
> दस्तावेज के साथ डीएमओ द्वारा की गई भ्रष्टाचार का शिकायत सीएम भूपेश बघेल से की गई है।
>
> **भूपेंद्र माझी,** अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी देवभोग

इतिहास में नरेंद्र मोदी असफल प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाएंगे : सुनील

भाटापारा। बहुत हो गई महंगाई की मार, गद्दी छोड़ो मोदी सरकार का नारा देते हुए कांग्रेस के सुनील महेश्वरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास में सबसे असफल प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाएंगे। आर्थिक राजनीतिक, विदेश, सभी क्षेत्र में नरेंद्र मोदी फेल हो चुके हैं।

महंगाई के विरोध में 14 नवंबर से लगातार पदयात्रा करते हुए ग्राम गुड़ाघाट एवं भोथिडीह मी में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए श्री महेश्वरी ने आगे कहा कि मोदी सरकार धान खरीदी में बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर रही है। जिससे मजबूर होकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे पत्र लिखकर अवगत करा दिया है की ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ के धान खरीदी में अराजकता का माहौल बन सकता है। ग्राम गुड़ा घाट में ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें शक्कर मिटितेल राशन दुकान से कई महीने नहीं मिलता। नदी किनारे होने के कारण कटाव के चलते नदी के तट और गांव के बीच की दूरी मात्र 10 मीटर बची है। जिसे समय रहते पीचिंग नहीं किया गया तो आने वाले कुछ साल में ग्रामीणों को गांव छोड़ना पड़ जाएगा। लाफार्ज सीमेंट प्लांट के रेलवे लाइन के कारण भोथीडीह सहित चार पांच गांव को शाखा का पानी सिंचाई के लिए नहीं मिल पा रहा है।

धान खरीदी के पूर्व किसानों की सुविधा के लिए कमियों को दूर करने सभापति ने दिए अफसरों को दिए सुझाव

कवर्धा। जिला पंचायत कबीरधाम में सहकारिता एवं उद्योग स्थायी समिति की बैठक में कबीरधाम जिला पंचायत की सभापति भावना बोहरा ने धान खरीदी के पूर्व किसानों की सुविधा हेतु महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा की और आवश्यक सुझाव दिए। 1 दिसंबर से धान खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व भावना बोहरा ने धान खरीदी केन्द्रों में किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो इसके लिए कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर विभाग के अधिकारियों से चर्चा की और उनकी वास्तविक स्थिति के बारे में जनकारी लेते हुए कमियों को दूर करने के लिए सुझाव दिए।

भावना बोहरा ने बताया कि आज बैठक का मुख्य उद्देश्य किसानों को धान विक्रय में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े और वे सरलता से अपना धान बेच सकें

इसको लेकर कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा की गई है और कमियों को दूर करने के सुझाव साझा किये गए। उन्होंने बताया की विगत वर्ष धान खरीदी को लेकर समितियों की समीक्षा भी की गई जिसमें धान बिक्री के लिए किसानों द्वारा कराए गए पंजीयन की सूचि व उसमें हुई त्रुटियों के जल्द निराकरण करने की बात कही है।

इसके साथ ही पिछले वर्ष कितने किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया और कितने किसानों द्वारा धान बेचा गया, पिछले वर्ष का पंजीकृत रकबा और बेचे गए धान का कुल रकबा, धान खरीदी हेतु किस किस समितियों को कितनी राशि प्राप्त हुई, मजदूरों को बोरा सिलाई की राशि भुगतान, धान शोर्टेज को लेकर किन-किन समितियों पर कार्यवाही की गई और समितिवार प्राप्त लाभांश राशि जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई।

भावना बोहरा ने आगे बताया कि इस वर्ष किसानों को धान बिक्री व उनसे धान की खरीदी में समस्या न हो उसके लिए पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था करने की बात कही। इसके अलावा धान खरीदी केन्द्रों में धान के आवागमन हेतु टेंडर की प्रक्रिया को पूर्ण करने और जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा धान परिवहन में लेट-लतीफी न हो इसका विशेष ध्यान रखने की बात कही है। बैठक में समितिवार चबूतरा की वास्तविक स्थिति व संख्या तथा धान बेचने आए किसानों की भीड़ व जरुरत के अनुरूप पर्याप्त पेयजल एवं प्रसाधन हेतु बाथरूम की व्यवस्थाओं के बारे में भी चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि बैठक में किसानों को धान खरीदी केन्द्रों में किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े इसके लिए रुपरेखा तय करने व त्रुटियों को दूर करने हेतु कार्ययोजना बनाई गई। विगत वर्ष की कमियों को दूर करते हुए किसानों को अपने धान समय पर बेचने और उसके भण्डारण व रख-रखाव के लिए पर्याप्त जगह एवं अचानक बारिश की संभावना को लेकर धान की सुरक्षा हेतु पर्याप्त व्यवस्था की भी समीक्षा की गई।

डीडब्ल्यूपीएस में हुआ कार्यशाला का आयोजन

भाटापारा। खमरिया, भाटापारा स्थित दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 'एलजीबीटीक्यू' कम्युनिटी पर भव्य कार्यशाला का आयोजन किया गया,जिसमें उपेक्षित समुदाय के लोगों जैसे-किन्नर समुदाय, समलैंगिकता आदि की जीवनी पर विद्यालय के छात्र-छात्राओं- रुद्राक्ष वर्मा(दसवीं) अविजित कटियार, अनमोल सुवालका,हर्षिता गोयल, ऋतिका सिंह(नौवीं) स्नेहा गुप्ता(आठवीं) के द्वारा इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। इन विद्यार्थियों ने स्टूडेंट्स ट्रेनर की भूमिका निभाई।

ज्ञात हो कि वर्तमान समय में भी कुछ ऐसे समुदाय के लोग रहते हैं, जिनको हेय दृष्टि से देखा जाता है। यदि हम किन्नर समुदाय की बात करें तो यह समुदाय कई दशकों से समाज में उपेक्षित रहे,किंतु आज वह स्थिति नहीं है। आज इन समुदायों के लोग भी राजनीति, सामाजिक, धार्मिक, व्यवसाय, नौकरी आदि क्षेत्रों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेकर समाज को एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ऐसे समुदायों के लोग भी सम्मान के साथ हर क्षेत्र में कार्य करने के हकदार हैं, इनके अधिकारों व सम्मान की रक्षा के लिए हमें इन्हें जागरूक करना और इन्हें प्रोत्साहित करके इनके मन में बैठी हीन भावना को दूर कर इन्हें भी अपने समुदाय का हिस्सा बनाना था।

ग्राम पंचायत जरती में खुला नवीन धान खरीदी केंद्र, किसानों में खुशी

कवर्धा। कबीरधाम जिले के कवर्धा ब्लाक अंतर्गत ग्राम पंचायत जरती में आगामी खरीफ विपणन वर्षो के लिए नवीन धान ख़रीदी केंद्र का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया गया हैं।

प्रदेश के किसानों के खुशहाली के लिए राज्य सरकार ने लगभग 62 नवीन धान ख़रीदी केंद्र खोल दिया है।राज्य सरकार के इस किसान हितैषी फैसले के लिए हम सब छत्तीसगढ़ के किसान बहुत बहुत बधाई देते हैं।

इसी में से एक धान ख़रीदी केंद्र कवर्धा के जेवडन सेक्टर 12 के ग्राम पंचायत जरती में धान ख़रीदी केंद्र खोले जाने से पूरे सेक्टर में खुशी का माहौल हैं। मंत्री मोहम्मद अबकर से खरीदी केंद्र को मांग करने में प्रमुख भूमिका सेक्टर मुखिया सुधीर दुबे, सत्येन्द्र वर्मा, पंचू

कोसरिया, मणिकांत त्रिपाठी, वाल्मिकी वर्मा, मनोज चन्द्रवंशी, अजय वर्मा का रहा है।

कवर्धा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि जेवड़न सोसायटी में लगभग 15 गांव से अधिक आता था, जिससे किसानों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता था, मंत्री मो.अकबर के द्वारा ग्राम पंचायत जरती में नवीन धान खरीदी केंद्र खुलने से आसपास गांव के किसानों को सुविधा मिल सकेगा और आसानी से अपनी धान को बेच सकेंगे। समय पर खाद, कर्ज का लेनदेन कर सकेंगे। राज्य सरकार के इस ऐतिहासिक फैसला का स्वागत करते हुए क्षेत्र के किसानों ने मंत्री मोहम्मद अबकर और सीएम भूपेश बघेल का आभार जताया है।

अधिकारी-कर्मचारियों ने ली संविधान की शपथ

गरियाबंद। शुक्रवार सुबह 11 बजे कलेक्टोरेट में संविधान की उद्देशिका की शपथ ली गई। शपथ में कहा गया कि हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए दृढ़संकल्प हैं। उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

देशभर से आए साधु संत आज मंत्रोच्चारण के साथ करेंगे लोहारा नाका चौक पर भूमिपूजन

कबीरधाम। 3 अक्टूबर को हुए भगवा ध्वज के अपमान के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने कवर्धा पहुंच 4 नवम्बर को ध्वज लगाने की तारीख की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि 10 दिसंबर को 108 फीट के स्तंभ पर भगवा ध्वज लगाएंगे। अब 10 दिसंबर को भगवा ध्वज लगाने की तैयारी जोरों शोरों पर है। देशभर से साधु-संत और हिंदू सनातनियों का आगमन कवर्धा में प्रारम्भ हो गया है, यहां तक साधु संत स्वयं हिंदूओं के घर जाकर उन्हें आमंत्रण दे रहे हैं। चन्द्रप्रकाश उपाध्याय ने बताया - श्री शंकराचार्य जनकल्याण न्यास समिति कवर्धा के प्रमुख ट्रस्टी चन्द्रप्रकाश उपाध्याय ने बताया कि स्वामी जी के निर्देश पर साधु संतों का कवर्धा आगमन चालू हो गया है वहीं, साधु संतों ने जिले के हर शहर, गांव, कस्बे में निवासरत हिन्दूओं सनातनियो के घर पहुंच 10 दिसम्बर को होने वाले भगवा ध्वजारोहण, कलशयात्रा व धर्मसभा में पहुचने का आमंत्रण दिया हैं।

कर्यालय जिला बाल संरक्षण अधिकारी जिला रायपुर
दावा-आपत्ति

1. बच्चे का नाम :- बालक अभिनव (संस्था द्वारा दिया गया नाम)
2. बच्चे का प्राप्ति दिनांक :- 16/10/2021
3. संस्था :- विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी सेवाभारती, मातृछाया, कोटा, रायपुर
4. रंग :- गोरा
5. उम्र :- 03 सप्ताह

उक्त बालक दिनांक 25/10/2021 को बाल कल्याण समिति, रायपुर के पत्र क्रं./1489/ बा.क.स./2020-21 रायपुर दिनांक 25/10/2021 से अस्थाई संरक्षण हेतु विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी सेवाभारती मातृछाया, रायपुर रायपुर (छ.ग.) में रखा गया है।

सर्व संबंधित को जो कि बालक के वैधानिक पालक/अभिभावक होने का दावा आपत्ति दर्ज कराना चाहते है, प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस के भीतर जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, द्वितीय तल, नेताजी सुभाष स्टेडियम, मोतीबांग चौक, जिला-रायपुर (छ.ग.) अथवा विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंन्सी, सेवाभारती मातृछाया, कोटा, रायपुर (छ.ग.) में दर्ज करा सकते है। उक्त समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा तथा दत्तक ग्रहण की कार्यवाही की जावेगी।

यह विज्ञापन मेरे द्वारा जारी किया गया।

जी-65388/2

जिला बाल संरक्षण अधिकारी
जिला बाल संरक्षण समिति (इकाई)
जिला-रायपुर (छ.ग.)
संपर्क नं.- 0771-4283109

प्रथम पृष्ठ का शेष...

रेलवे और पीडब्ल्यूडी ...

किसी को अंदर और बाहर आने-जाने की अनुमति नहीं है। अफसरों ने अग्रवाल के परिजनों से भी सोने-चांदी के जेवरात सहित दूसरी प्रॉपर्टी के संबंध में भी जानकारी ले रहे हैं।

आईटी अफसरों की ओर से अब तक छापेमार कार्रवाई को लेकर किसी तरह का अधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। जांच देर शाम तक चलने की उम्मीद लगाई जा रही है। विभाग को लंबे समय से अंकित अग्रवाल द्वारा टैक्स में हेर फेर किये जाने की खबर मिल रही थी। पिछले 1 सप्ताह से रायपुर के कई कारोबारियों के ठिकानों में भी छापे पड़े हैं। इस छापेमार कार्रवाई को लेकर राजधानी के कारोबार जगत में हड़कंप मच गया है।

बर्निंग ट्रेन : दुर्ग सुपरफास्ट...

ही भगदड़ मच गई। कुछ यात्रियों ने ट्रेन को जंजीर खींचकर रोका। आग लगने के बाद ट्रेन हेतमपुर स्टेशन के करीब जाकर रुकी, तब तक दूसरे बोगियों में भी आग की लपटे पहुँच चुकी थी। यात्रियों ने ट्रेन के रुकते ही कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने चार बोगियोपन को अपने लपेट में ले लिया।

लोको पायलट ने आग लगने की सुचना हेतमपुर स्टेशन मास्टर को दी। जिसके बाद आग को बुझाने के लिए मुरैना व धौलपुर से फायरब्रिगेड भेजी गई। रेलवे की टीम ने आग लगे कोचों को अन्य कोचों से अलग कर दिया है। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

ट्रेन में आग की सूचना पाकर मौके पर पुलिस, प्रशासन सहित रेलवे के अफसर भी पहुंच गए हैं। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। हालांकि रेल प्रशासन ने प्रथम दृष्टया शार्टसर्किट होने की संभावना जताई है।

सन्नी अग्रवाल का...

सकती है, मैं नहीं दे सकता। जब उन्से यह पुछा गया की क्या सरकार और आपके बीच में तालमेल का अभाव है तो उन्होंने कहा कि मैं संगठन चला रहा हूं मैं संगठन के बारे मे बता सकता हूं कि उसकी कार्रवाही सही है सरकार क्या कर रही है सरकार ही बता पायेगी।

उल्लेखनीय है कि गत माह राजीव भवन में कांग्रेस कमेटी की एक बैठक के पूर्व सन्नी अग्रवाल और कांग्रेस कमेटी के महासचिव अमरजित चावला के बीच किसी बात को लेकर तू-तू, मैं-मैं हो गई थी और सन्नी अग्रवाल ने एक अमरजीत चावला से हाथा पाई भी की थी जिसके बाद संगठन ने कड़ा कदम उठाते हुए सन्नी अग्रवाल को तत्काल कांग्रेस से निलंबित कर दिया था जो अब तक जारी है।

डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी...

5 जनवरी से 9 जनवरी 2022 तक किया जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षा 13 फरवरी 2022 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी, वहीं मुख्य परीक्षा के लिए 26, 27, 28 और 29 मई निर्धारित किया गया है।

कोरोना के 'बोत्सवाना...

डिजीज (एनआईसीडी) ने पुष्टि की कि दक्षिण अफ्रीक में बी.1.1.529 का पता चला है। अब तक का अनुमान है कि नया बी.1.1.529 वेरियेंट एक मरीज से ही निकला है। लंदन स्थित यूसीएल जेनेटिक्स इंस्टिट्यूट के डायरेक्टर फ्रैंक्वा बेलॉस का मानना है कि यह वेरियेंट किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीज से पैदा हुआ है। मरीज शायद एचआईवी/एड्स से पीड़ित होगा।

Chola
चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फ़ायनांस कम्पनी लिमिटेड
कॉरपोरेट कार्यालय: प्रथम तल, डेयर हाउस, नं.2, एन.एस.सी. बोस रोड, चेन्नई-600001.
शाखा कार्यालय: दुकान नं.416, 4थी मंजिल, ... कार्पोरेट पार्क, ... जी.ई. रोड, रायपुर C.G.-492001.

नियम 8 (1) के तहत कब्जा सूचना

[illegible]

क्र.	कर्जदार का नाम और पता ऋण खाता संख्या	डिमांड नोटिस की दिनांक	बकाया राशि	कब्जे की प्रॉपर्टी का विवरण	प्रतीकात्मक कब्जे की दिनांक
ए	बी	सी	डी	ई	एफ
1.	ऋण खाता सं.X0HERRH00002786778 & HE02RRH00000008584 1. सुरेश कुमार अग्रवाल, 2. सुषमा अग्रवाल 3. राहुल अग्रवाल, 4. निर्मला देवी अग्रवाल ... 08/1542, ... रायपुर, छत्तीसगढ़-492001. [illegible]	06.09.2021	रु.1,10,42,602.58/- और रु.21,11,830/- कुल रु.1,31,54,432.58/- 06.09.2021 को	सर्वेक्षण संख्या-212/43, 1461/27, 1478/27, 1480/26, 1481/25 की पूरी संपत्ति, ... 2520 वर्ग फीट ... 107/49, ... रायपुर (छ.ग.)- 492001 ... [illegible]	24.11.2021

दिनांक: 26.11.2021
स्थान: रायपुर

अधिकृत अधिकारी
मै. चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फ़ायनांस कम्पनी लिमिटेड

कर्यालय मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) रायपुर एवं क्षेत्र संचालक, उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व, छत्तीसगढ़

दूरभाष नम्बर-0771-2429600(O), 2429600(Fax), E-mail-ccfwlrpr@gamil.com

निविदा सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) रायपुर वन वृत्त द्वारा निम्नानुसार ठेका पद्धति से निर्माण कार्य हेतु मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है :-

उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद

निविदा विशेषीकरण क्र.	कार्य एवं स्थल विवरण	स्थल	अनुमानित लागत (रुपयों में)
CCFWLUSTR/1	वन परिक्षेत्र कार्यालय भवन दक्षिण उदंती परिक्षेत्र	मैनपुर जिला गरियाबंद	25,26,550
CCFWLUSTR/2	उपवनक्षेत्रपाल/वनपाल आवासगृह निर्माण, रिसगांव	रिसगांव जिला धमतरी	9,25,750
CCFWLUSTR/3	वनरक्षक आवासगृह निर्माण	कांडसर बीट, इंदागांव परिक्षेत्र, जिला-गरियाबंद	6,29,050
CCFWLUSTR/4	रपटा निर्माण कार्य	कक्ष क्रमांक 877	17,25,000
CCFWLUSTR/5	रपटा निर्माण कार्य	कक्ष क्रमांक 833	11,50,000
CCFWLUSTR/6	रपटा निर्माण कार्य	कक्ष क्रमांक 829	11,50,000
CCFWLUSTR/7	रपटा निर्माण कार्य	कक्ष क्रमांक 922	15,52,500

1. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत बेरोजगार डिप्लोमा, स्नातक इंजीनियर/राजमिस्त्रि ही भाग ले सकते है, जो कि राजस्व जिलो के समूह क्रमांक 03 (रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार) में एक क्षेत्र में पंजीकृत हो।
2. उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु विस्तृत निविदा प्रपत्र एवं आवश्यक शर्तें छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग की वेबसाइट www.cgforest.com से ऑनलाईन प्राप्त की जा सकती है। निविदा संबंधी अभिलेखों की राशि रु. 500/- का डिमांड ड्राफ्ट जो किसी भी राष्ट्रीयकृत अथवा शैड्यूल्ड बैंक का हो FIELD DIRECTOR, UDANTI SITANADI TIGER RESERVE, RAIPUR के नाम से देय होगा एवं रायपुर में भुगतान योग्य हो तकनीकी बीड के साथ जमा करना होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
3. निविदा के संबंध में जानकारी वन विभाग के वेबसाईट www.cgforest.com पर भी प्राप्त की जा सकती है।

जी-65376/3

मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं
क्षेत्र संचालक उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व
रायपुर (छत्तीसगढ़)

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक यशवंत धोटे* द्वारा बंसल स्कूल कैम्पस, अशोक विहार कॉलोनी, पण्डरी से मुद्रित कर ब्रिस्टल चौक छोटापारा रायपुर से प्रकाशित, प्रबंध संपादक - चन्द्रशेखर धोटे
फोन व फैक्स : 0771-4035602, डाक पंजीयन क्रमांक सी.जी./आर.वाई.पी. डीएन/40/2019-2021

न्यूज गैलरी

मंडी निरीक्षक भर्ती परीक्षा कल

गरियाबंद/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा 28 नवम्बर रविवार को मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की जायेगी। परीक्षा पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 01.15 बजे तक आयोजित होगी। व्यापम को प्राप्त आनलाइन आवेदन के अनुसार गरियाबंद जिला में परीक्षा हेतु 1618 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। जिले में कुल 07 परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। है। प्रवेश पत्र इंटरनेट के माध्यम से व्यापम के वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षार्थियों को अपने साथ मूल पहचान पत्र, जिससे उनका पहचान किया जा सके, जैसे- वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ई-आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस मूल प्रति के साथ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र साथ में लेकर उपस्थित होने कहा गया है। मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। परीक्षा हॉल में मोबाईल, कैल्कुलेटर, डिजीटल घड़ी एवं कंपास या पाउच लाना वर्जित है। कोविड-19 महामारी से बचाव को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के कोविड के संबंध में प्रावधान का पालन आवश्यक है, परीक्षार्थी मास्क लगा कर ही परीक्षा हाल में उपस्थित होंगे। परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र में दिये गये निर्देश का अध्ययन करें एवं दिये गये निर्देशों का पालन करें।

मोदी सरकार में महंगाई के साथ सच बोलना भी महंगा : अविनाश चौबे

साजा/नवप्रदेश। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार माननीय मंत्री रविन्द्र चौबे एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार संतोष वर्मा अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में मंत्री पुत्र अविनाश चौबे एवं रउफ कुरैशी प्रभारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी साजा के आतिथ्य में महंगाई के खिलाफ जनजागरण अभियान चलाया गया, ग्राम पंचायत भरदा कला से ग्राम बेलतरा तक 16 किलो मीटर तक पद यात्रा कर जन जागरण किया गया। वक्ता अविनाश चौबे ने अपने वक्तव्य में केंद्र की मोदी सरकार को जमकर कोसा, किस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश की आम आदमी की आमदनी की लूट रही है, और उनके जेब में डाका डाल रही है, केंद्र सरकार अच्छे दिनों की वादा कर सरकार में आई थी, जब से सता में आई है तब से मोदी सरकार लगतार पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी पर खूब वृद्धि की है, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमत की बढ़ी है, जिनके परिणाम स्वरूप देश में ट्रांसपोर्टिंग का काम महंगा हुआ हैं और देश में ट्रांसपोर्टिंग महंगा होने के कारण मंहगाई चरम सीमा पर है, सात साल के मोदी सरकार में किसानों की जान सस्ता हुआ, सच बोलना महंगा हुआ है अन्याय के खिलाफ बोलना महंगा हुआ है, देश की राजधानी में किसान को पीटा जा रहा हैं। अंत में शायराना अंदाज में कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार कहा गई मोदी सरकार। उपरोक्त कार्यक्रम में मनोज जायसवाल अध्यक्ष प्रतिनिधि साजा, राजेश चंदेल, गौतम चंद जैन, शेष नारायण, जनार्दन ठाकुर, दाऊ राम साहू, राजेन्द्र साहू, दिनेश साहू, अवधेश गोयल, अंजोर यदु, ईश्वर वर्मा, बलकरन वर्मा, घनश्याम वर्मा, सुशील यदु, विपलव, राजेन्द्र साहू, संग्राम राजपूत, लिकेष साहू, बलराम साहू, ईश्वर साहू, अजय वर्मा, राहुल वर्मा, कुबेर वर्मा, तोपसिंह राजपूत, पंकज राठी व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्य, युवा कांग्रेस, किसान कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एन एस यू आई, त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधि, सरपंचगण एवं कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं व बड़ी संख्या में जनमानस उपस्थित थे।

जिला स्तरीय लोन मेला 28 नवम्बर को

बेमेतरा/नवप्रदेश। बेमेतरा जिले के लीड बैंक के संयुक्त तत्वाधान में जिलें के समस्त बैंकों द्वारा जिला स्तरीय मेगा लोन मेला कार्यक्रम का आयोजन बेमेतरा शहर के टाउन हॉल में रविवार 28 नवम्बर को सवेरे 10 बजे आयोजित किया जायेगा। मेगा लोन मेला के मुख्य अतिथि प्रदेश के कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी, पशुपालन, मछली पालन, जल संसाधन एवं आयाकट मंत्री रविंद्र चौबे होंगे। विशिष्ट अतिथि संसदीय सचिव छ.ग. शासन व विधायक नवगढ़ गुरुदयाल बन्जारे, विधायक बेमेतरा आशीष छाबड़ा, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती शकुंतला साहू होंगे।

कलेक्टर की उपस्थिति में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक रूप से पठन

बेमेतरा/नवप्रदेश। संविधान दिवस के अवसर पर आज शुक्रवार को सवेरे 11 बजे संयुक्त जिला कार्यालय कलेक्टोरेट परिसर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक रूप से वाचन किया गया। उल्लेखनीय है कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के रूप निर्माण समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान को संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। कलेक्टर भोसकर विलास संदीपन के साथ अपर कलेक्टर अनिल कुमार वाजपेयी ने संविधान की प्रस्तावना का पठन कराया। बेमेतरा के विभिन्न शासकीय कार्यालयों वि.ख./तहसील स्थित कार्यालयों में भी संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पठन किया गया। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर दुर्गेश कुमार वर्मा , डिप्टी कलेक्टर प्रवीण तिवारी एवं सुश्री हिरा गवर्ना, उप संचालक कृषि एमडी मानकर, उप संचालक जनसंपर्क सीएल लोन्हारे, जिला श्रम अधिकारी एनके साहू एवं जिला कार्यालय अधीक्षक रमेश निर्मलकर, कैलाशनाथ साहू, कार्तिक कवर्त्य, जितेन्द्र साहू, लोचन साहू सहित कलेक्टोरेट के स्टॉफ उपस्थित थे।

कमला कॉलेज में दंत चिकित्सा शिविर

राजनांदगांव/नवप्रदेश। शासकीय कमलादेवी राठी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय में प्राचार्य डा. श्रीमती सुमन सिंहम बघेल के मार्गदर्शन में दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जो कि दंत चिकित्सा महाविद्यालय, सुंदरा, राजनांदगांव के जन स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग के चिकित्सक डा. सूरज मुल्तानी एवं डा. अनिरूद्ध खेडुलकर एवं उनके समूह द्वारा संपन्न कराया गया। शिविर में प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों ने अपने दंत परीक्षण कराये एवं उचित परामर्श प्राप्त किया। कार्यक्रम का प्रबंधन रेड रिबन क्लब एवं राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती रामकुमारी धुर्वा द्वारा किया गया। डा. दुर्गा शर्मा अतिथि प्राध्यापक एवं कु. हर्षा अतिथि व्याख्याता तथा उमेश पनरिया का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ।

जनपद सभापति की मांग पर लगी मुहर

राजनांदगांव/नवप्रदेश। डुमरडीहकला क्षेत्र के क्षेत्रीय जनपद सदस्य एवं सभापति ओमप्रकाश साहू के मांग पर मुहर लगते हुए डुमरडीहकला में धान खरीदी केंद्र की अनुमति प्रदान कर दी गई है। कुछ दिन पहले ओमप्रकाश साहू द्वारा मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, विधायक से डुमरडीहकला में धान खरीदी केंद्र खोलने मांग किया गया था, जिस पर मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री ने आश्वासन दिया गया था। जिस पर 25 नवंबर को इनकी अनुमति मिल गई है, जिससे पूरे क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। मांग पूरा करने के लिए जनपद सभापति एवं क्षेत्रीय जनपद सदस्य ओम प्रकाश साहू ने मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री एवं डोंगरगढ़ विधायक भुनेश्वर बघेल का आभार व्यक्त किया है। धान खरीदी केंद्र के घोषणा होने से पूरे क्षेत्रवासियों में हर्ष का माहौल है।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में देश में छत्तीसगढ़ अव्वल, वायु में हानिकारक गैसों में आई कमी

■ राज्य के वन क्षेत्र में भी दर्ज हुई वृद्धि

■ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए कार्यों को मिली बड़ी सफलता

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ ने वायु, जल प्रदूषण, ठोस कचरे के प्रबंधन और वनों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पत्रिका इंडिया टूडे के अनुसार वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर है। प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य वर्ष 2018 में 17वें, वर्ष 2019 में 6वें तथा वर्ष 2020 में दूसरे पायदान पर रहते हुए वर्ष 2021 में पहले पायदान पर है। इसी तरह इंडिया स्टेट ऑफ दी फारेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्य के वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए कार्यों की यह एक बड़ी उपलब्धि है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य लोहा, कोयला, डोलोमाईट जैसे खनिजों से परिपूर्ण है। जिसके कारण राज्य में खनिज आधारित उद्योगों का विस्तार हुआ है। इन उद्योगों की स्थापना से एक ओर जहां क्षेत्र के लोगों की आमदनी में भी बढ़ोत्तरी हुई है, वहीं इसके कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और सॉलिड बेस्ट मेनेजमेंट की चुनौतियां भी मिल

रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल इन समस्याओं और चुनौतियों से निपटने में बेहतर प्रबंधन के साथ आगे बढ़कर काम कर रहा है।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वातावरण में वायु की गुणवत्ता जांचने के लिए 18 वायु गुणवत्ता स्टेशन स्थापित किए गए हैं। वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित तीन प्रमुख नगर निगमों रायपुर, भिलाई, कोरबा में राष्ट्रीय साफ वायु प्रोग्राम के तहत माइक्रो एक्शन प्लान तैयार किए गए हैं। वायु में सल्फर की मात्रा 37 प्रतिशत तक कम हो गई है। यह 2016 में 26.02 माइक्रोग्राम थी, जो 2020 में घटकर 16.34 माइक्रोग्राम हो गई। इसी प्रकार दैनिक नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड सकेन्द्रण में भी 17 प्रतिशत की कमी आई है। यह 24.11 माइक्रोग्राम से घटकर 19.88 माइक्रोग्राम रह गई है।

इसी तरह राज्य सरकार ने वाटर क्वॉलिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत राज्य की 7 प्रमुख नदियों में पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए 27 स्टेशन स्थापित किए हैं। इनमें 5 प्रमुख नदियों खारून, महानदी, हसदेव, केलो और शिवनाथ का पानी पीने योग्य पाया गया है। इसके अलावा पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए 10 स्टेशन बनाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की लगभग 28.8 मिलियन आबादी में 6 मिलियन लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। शहरी क्षेत्रों से लगभग एक हजार 650 टन ठोस कचरा प्रतिदिन एकत्र होता है। राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में मिशन क्लीन सिटी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अम्बिकापुर में विकेन्द्रीयकृत अपशिष्ठ पृथककरण और रिसायकलिंग मॉडल का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। बलौदाबाजार जिले में भी हानिकारक कचरों के निपटान के लिए अलग से सुविधाएं विकसित की गई है। इसी प्रकार बायोमेडिकल कचरे के निपटान के लिए 4 यूनिट भी प्रस्तावित है। हाल ही में राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ को देश के सर्वश्रेष्ठ स्वच्छतम राज्य के रूप में सम्मानित किया है। छत्तीसगढ़ लगातार तीन सालों से देश में स्वच्छता के मामले में पहले स्थान पर है। छत्तीसगढ़ राज्य 44 प्रतिशत वनों से अच्छादित है, इससे ग्रीन हाऊस के प्रभावों को भी कम करने में मदद मिल रही है, वहीं सरकार द्वारा इंडस्ट्रीयल एरिया के 30 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण अनिवार्य किया गया है।

6 माह पूर्व पानी टंकी, पियाऊ पानी के लिए ग्रामीण है वंचित

कोटगांव में शासन द्वारा बनाई गई नल जल योजना के तहत

सिकोसा/गुंडरदेही/नवप्रदेश। ब्लॉक सिकोसा से 6 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कोटगांव जहां पर शासन द्वारा नल जल योजना के तहत स्वतंत्र ग्राम पंचायत कोटगांव में पिछले पूर्व 6 माह से बनाई गई पानी टंकी पे जल योजना के तहत ग्रामीणों कि आस हुई निराश घर सुविधा पानी मिलने की आस में ग्रामीण बड़े उत्साहित एवं बहुत खुश हुए लेकिन पीएचई विभाग द्वारा अभी तक पानी पाइप लाइन नहीं बिछाने से लोगों की नाराजगी सामने आई जिससे लोग बड़े नाखुश है नल जल योजना के तहत पीएचई विभाग के द्वारा घर घर पर पाइप लाइन एवं पानी की सुविधा के लिए लगाई जानी है जो आज 6 माह से लोग इस लाभ से वंचित हैं वही ग्रामीणों का कहना है कि 6 माह से बनी हुई पानी

टंकी जिसकी पाइप लाइन अभी तक गांव में विस्तारित नहीं किया गया जिससे ग्रामीण बहुत परेशान है शासन द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है वहीं सरपंच का कहना है कि मैं कई बार इस बात को लेकर पीएचई विभाग में चर्चा कर चुका हूं पीएचई विभाग का कहना है कि अभी तक टेंडर नहीं हुआ है जिस दिन होगा आपके गांव का नल जल योजना के तहत विस्तारित रूप से पाइप लाइन बिछाई जाएगी।

'भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासी विद्रोह की भूमिका' विषय पर संवाद संगोष्ठी का आयोजन

■ कलिंगा विश्वविद्यालय के शहीद वीरनारायण सिंह शोधपीठ के द्वारा

रायपुर/नवप्रदेश। कलिंगा विश्वविद्यालय मध्य भारत का एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान है। यहाँ पर वैश्विक मापदंड के अनुरूप विद्यार्थियों में नयी खोज को विकसित करने के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण एवं शोधपरक शिक्षा प्रदान किया जाता है। इसी तारतम्य में विश्वविद्यालय के शहीद वीरनारायण सिंह शोधपीठ के द्वारा आयोजित ''भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासी विद्रोह की भूमिका'' विषय पर संवाद संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

विदित हो कि छत्तीसगढ़ के गौरवशाली इतिहास, कला और संस्कृति को नए सिरे से उजागर करने के लिए कलिंगा विश्वविद्यालय में शहीद वीरनारायण सिंह शोधपीठ की स्थापना की गयी है। शहीद वीरनारायण सिंह शोधपीठ के द्वारा छत्तीसगढ़ के इतिहास, कला एवं संस्कृति से जुड़े विभिन्न पक्षों पर विद्यार्थियों की रचनात्मक रुचि जागृत करते हुए उनके माध्यम से नए शोध और नयी खोज के लिए प्रेरित किया जाता है। इसी श्रृंखला में आयोजित इस संवाद संगोष्ठी कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रुप में छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्यकार और शासकीय महाविद्यालय रामचंद्रपुर के प्रभारी प्राचार्य पीयूष कुमार उपस्थित थें।

उक्त कार्यक्रम में मुख्य वक्ता ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आदिवासी सरल, सहज और शांतिप्रिय होते हैं। वह अपनी संस्कृति और परंपराओं से गहरे जुड़े हुए होते हैं। भारतवर्ष के दमनकारी विदेशी शासकों ने जब भी उनके अधिकारक्षेत्र में हस्तक्षेप किया या दमनकारी नीति बनाया, तब उन्होंने संगठित होकर उसका तीव्र विरोध किया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ढ़ाई सौ वर्षो के इतिहास में अनेकों क्रांतियों का सूत्रपात आदिवासी समाज के द्वारा किया गया है।

उक्त संगोष्ठी के संयोजक एवं शोधपीठ के अध्यक्ष डॉ. अजय शुक्ल ने कहा कि आदिवासी समाज अपनी श्रेष्ठ संस्कृति और उत्कृष्ट परंपरा से जानी जाती है। किसी भी जागरुक समाज की पहचान उसके गौरवशाली अतीत और वर्तमान काल में उसकी भूमिका से तय होती है। प्रकृति प्रेमी आदिवासी समाज का जीवन उनकी संस्कृति के साथ जल, जंगल और जमीन से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में इस समाज ने शहीद वीरनारायण सिंह जैसे सपूत देकर सिर्फ प्रदेश को ही नहीं बल्कि देश को भी गौरवान्वित किया है। जिन्होंने राजसिंहासन त्याग कर देशहित में अपने प्राणों की आहुति देकर देशवासियों का एक नया संदेश दिया है।

उक्त संवाद गोष्ठी कार्यक्रम के उपरांत कला एवं मानविकी संकाय की अधिष्ठाता डॉ. शिल्पी भट्टाचार्य ने मुख्य वक्ता के प्रति धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में डॉ.अनिता सामल, श्री चंदन सिंह राजपूत, मुकेश रावत, डॉ. ए. विजय आनंद, डॉ. नम्रता श्रीवास्तव, सबलुम पाणी, सुश्री मेरिटा जगदल्ला के साथ कला एवं मानविकी संकाय के समस्त प्राध्यापक, कर्मचारी एवं विद्यार्थी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ राज्य जीएसटी वसूली में लक्ष्य से ऊपर सरलीकरण के कारण 43 फीसदी हुआ कलेक्शन

■ जीएसटी मुख्य आयुक्त गोयल से मिला चेंबर पदाधिकारी

रायपुर/नवप्रदेश। सेंट्रल जीएसटी भोपाल जोन के मुख्य आयुक्त नवनीत गोयल शुक्रवार को रायपुर दौरे पर रहे। उन्होंने पहले अधिकारीयों की बैठक ली और छत्तीसगढ़ में जीएसटी वसूली के लिए सभी अधिकारी और कर्मचारियों की पीठ ठोकी। मुख्य आयुक्त नवनीत गोयल ने अधिकारीयों से चर्चा करने के बाद पत्रकारों से भी चर्चा की। इस दौरान सेंट्रल जीएसटी मुख्य आयुक्त नवनीत गोयलने बताया कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाकर लक्ष्य से 2त्र प्रतिशत ज़्यादा का कर की प्राप्ति हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले साल के मुकाबले 43 फीसदी ज्यादा टैक्स की वसूली की गई है जो सराहनीय है।

नवनीत गोयल ने बताया कि बीते साल 5278 करोड़ वसूल किया गया था वहीं इस साल 8,130 करोड़ की वसूली हुई है। बीते साल नवंबर तक 104 करोड़ के मामले डिटेक्ट किए थे,

जिसमें 44 करोड़ की रिकवरी की गई है. इस साल 594.17 करोड़ डिटेक्ट किए गए हैं जिसमें 212.36 करोड़ रिकवर किया गया।

जीएसटी को लेकर व्यापारियों की सबसे बड़ी परेशानी यह है की रिटर्न मे कोई त्रुटि हो जाए तो उसका सुधार नहीं किया जा सकता इसे लेकर आयुक्त का कहना है की आखिरी तिथि तक व्यापारियों को अपना रिटर्न भर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की मांग पर विचार किया जा रहा है पर इसे जल्दबाजी में बदलना सही नहीं होगा। उन्होंने इस परिस्थिति में टैक्स चोरी होने की संभावना बनी रहने की बात कही। जीएसटी कर के मामले में छत्तीसगढ़ अपने लक्ष्य की पूर्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति को जीएसटी में सरलीकरण माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि सही समय पर पटाने वाले करदाताओं को पुरस्कृत किया जाता है तो वही कर की चोरी करने पर सजा भी दी जाती है।

उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले 2 से 3 सालों में व्यापारियों की लगभग सभी असुविधाओं को देखते हुए जीएसटी में सुधार किया जाएगा, जिससे कर चोरी में कमी आएगी और जीएसटी का लक्ष्य और अधिक बढ़ेगा।

चेम्बर ने चीफ कमिश्नर को दिए सुझाव

छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने प्रतिनिधि मंडल के साथ जीएसटी मुख्य आयुक्त नवनीत गोयल से भेंट कर जीएसटी में सरलीकरण करने ज्ञापन सौंपा। साथ ही चैंबर ने बिंदुवार जीएसटी सरलीकरण संबंधी सुझाव दिया। पारवानी ने कहा, जीएसटी सरलीकरण एवं विसंगतियों को दूर करने औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों से सुझाव मांगा गया था, जिसे हमने आयुक्त गोयल को सौंपा।

पारवानी ने कहा कि वर्तमान में व्यापारी वर्ग जीएसटी की दरों से जितना परेशान नहीं हैं उससे अधिक परेशान जीएसटी में परिवर्तन की दरों से हो रहा है। अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि जीएसटी के प्रावधानों में संशोधन कम हो एवं संशोधन वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से ही लागू हो। उन्होंने कहा कि सुझावों को जीएसटी काउंसिल में रखा जाय एवं इन सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। चीफ कमिश्नर सेन्ट्रल जीएसटी ने कहा व्यापारिक हित में आ रही जीएसटी संबंधी दिक्कतों को समय रहते चेम्बर के माध्यम से हमें इन सब मुद्दों से अवगत कराया है। हमारे पास जो भी सुझाव 15 दिसम्बर तक आ जाते हैं उसे बजट में रखा जाता है।

शहर युवा मोर्चा ने सीएम को बताया चिट्ठीबाज

बालोद/नवप्रदेश। अपने प्रदेश के हर वर्ग के लोगो का हक मारकर चिट्ठी की राजनीति करना कांग्रेस द्वारा बेशर्मी की पराकाष्ठा पार करना है। उक्त बातें कमलेश वाधवानी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष ने कही। उन्होंने कहा ने कि प्रदेश के चिट्ठीबाज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर कोरोना संक्रमण से मृतकों को चार लाख रुपए मुआवजा देने की मांग करके यह साबित कर दिया है कि प्रदेश सरकार में अपने दम पर कोई भी काम करने का माद्दा है ही नहीं। वाधवानी ने कहा कि अपने तीन साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री बघेल अपने बूते कोई काम नहीं कर पाए हैं। प्रदेश की जनता को जो भी राहत मिली केंद्र सरकार के सहयोग से मिली और इसके बावजूद प्रदेश सरकार और कांग्रेस ने केंद्र सरकार को सिर्फ कोसने का ही काम किया। युवा मोर्चा अध्यक्ष वाधवानी ने कहा कि पूरे कोरोना काल में गरीबों-मजदूरों को मुफ्त राशन केंद्र सरकार ने दिया और अब इसकी मियाद चार माह के लिए फिर बढ़ा दी है। 2019-20 में 34 हजार करोड़ रुपए, 2020-21 में 38हजार करोड़ रुपए प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार ने दिए हैं। और चालू वर्ष 2021-22 के लिए प्रदेश को 44 हजार करोड़ मिलना अपेक्षित है। वाधवानी ने कहा कि केंद्र सरकार तो प्रदेश को भरपूर राशि मुहैया करा रही है और शर्म की बात यह है कि प्रदेश सरकार केंद्र की योजना के लिए राज्यांश तक नहीं दे पा रही है और इसके कारण प्रदेश की जनता को केंद्र की योजनाओं के सीधे लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार की बदनीयती का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राज्यांश नहीं देने के कारण प्रदेश के गरीबों के लिए निर्धारित 7.81 लाख आवास का लक्ष्य केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा और गरीबों को आवास के लगभग 11हजार करोड़ का रुपयों का प्रदेश सरकार की लापरवाही और बदनीयती से नुकसान हो गया।

कार्यालय, नगर पालिक निगम रायपुर
नगर पालिक निगम नवीन मुख्यालय भवन, गांधी चौक रायपुर

फोन नं. 0771-2535780, 90 फैक्स नं. 0771-22273395
ई-मेल dc_rmc@rediffmail-com

क्रमांक 391/योजना/न.पा.नि./2021 रायपुर, दिनांक 25/11/2021

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नांकित कार्य हेतु सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निवदा प्रपत्र ''अ''में निविदाएं दिनांक 01/01/2015 से प्रभावशील पी.डब्ल्यू.डी. एस.ओ.आर. कम/अधिक प्रतिशत दर अनुसार दो लिफाफा पद्धति स्पीड पोस्ट माध्यम से दिनांक 17/12/2021 को अपरान्ह 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतू आवेदन पत्र के साथ रुपये 750/- का डी.डी. आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के स्थानीय शाखा द्वारा जारी किया हो दिनांक 14/12/2021 को अपरान्ह 3.00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा साथ ही अन्य आवश्यक दस्तावेज, की प्रति जैसे एकल खिड़की पंजीयन, पेन नं., आयकर रिटर्न, जी.एस.टी. रिटर्न वार्षिक टर्न ओव्हर आदि की प्रति संलग्न करना होगा। अमानती राशि का एफ. डी. आर. आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर के नाम किसी राष्ट्रीयकृत स्थानीय बैंक शाखा द्वारा जारी किया हो. तथा रुपये 100/- मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र, एकल खिड़की पंजीयन प्रमाण पत्र, पेन नं. विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न, जी.एस.टी. रिटर्न. वार्षिक टर्न ओव्हर की जानकारी आदि दस्तावेज लिफाफा 'अ' में एवं वित्तीय दर निविदा प्रपत्र लिफाफा 'ब'में प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित दिवस में समयावधि के भीतर प्राप्त सभी निविदाएं दिनांक 17/12/2021 को सायं 5.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधी के समक्ष अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा खोला जावेगा। डाक में विलम्ब हेतू नगर निगम जवाबदार नहीं होगा।

अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विवरण	आगणित राशि	अमानती राशि (एफ.डी.आर.)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (डी.डी.)	कार्यावधि	ठेकेदार की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
	विभिन्न स्थलों में मेडिकल स्टोर्स हेतू 05 नग दुकान निर्माण कार्य।	18,20,000/-	18,500/-	750/-	90 दिवस	एकल खिड़की पंजीयन 'डी'श्रेणी

1. निविदा स्वीकृत/ अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर को है।
2. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं किया जावेगा।
3. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

घरो से निकलने वाले गीला और सूखा कचरे को सफाई मित्र (वाहन) को देवें।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग सुकमा वन मण्डल, सुकमा जिला-सुकमा (छ.ग.)

ईमारती काष्ठ का नीलाम विज्ञापन -सुकमा वन मण्डल सुकमा, जगदलुपर वृत्त जगदलुपर

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है जगदलपुर वृत्त के सुकमा वन मण्डल के अन्तर्गत सुकमा काष्ठागार में संग्रहित ईमारती काष्ठ नीलाम दिनांक 03/12/2021 समय प्रातः 10.00 बजे सुकमा काष्ठागार नीलाम हॉल में किया जावेगा।

अतः इच्छुक व्यापारियों से अनुरोध है कि वे नीलाम में भाग लें। नीलाम की शर्तें व अन्य जानकारियाँ कार्यालयीन दिवसों में काष्ठागार अधिकारी या वन मण्डल कार्यालय सुकमा से प्राप्त की जा सकती है। प्रस्तावित मात्रा में कमी या अधिकता हो सकती है। बोली लगाने के पूर्व कृपया वनोपज का निरीक्षण करने के बाद ही बोली लगावें। नीलाम में लॉट पर बोली लगाने के पूर्व सत्यंकार राशि 10 प्रतिशत के बराबर या 1000/- रुपये, इनमें से जो भी अधिक हो बयाने की राशि जमा करना अनिवार्य है। वर्ष 2021 का पंजीयन एवं फर्म का पैन नंम्बर एवं जी.एस.टी. नम्बर की प्रति जमा करें।

सुकमा काष्ठागार में अनुमानित ईमारती काष्ठ की मात्रा

प्रजाति	पुराना काष्ठ की मात्रा			योग		
	घ.मी.	बल्ली (नग)	डेंगरी (नग)	घ.मी.	बल्ली (नग)	डेंगरी (नग)
सागौन	73.566	27	637	73.566	27	637
साल	80.625	-	-	80.625	-	-
बीजा	15.348	15	2	15.348	15	2
साजा	10.428	134	-	10.428	134	-
हल्दु मु.	1.732	-	-	1.732	-	-
अन्य	23.312	335	9	23.312	335	9
योग :-	205.011	511	648	205.011	511	648

मिश्रित चट्टा :- 07 चट्टा।

जी-65383/5

वन मण्डलाधिकारी
सुकमा वनमण्डल सुकमा

अवैध शराब बिक्री का गढ़ बना जगन्नाथपुर!

शराब बेच रहे व्यक्ति ने कहा - काम नहीं मिलता इसलिए मजबूरी में बेच रहे

गांव में रोज 500 पव्वा से भी ज्यादा का कारोबार, महीने में 20 लाख रुपए शराब की हो रही खपत

सुप्रीत शर्मा

बालोद/नवप्रदेश। बालोद ब्लॉक का ग्राम जगन्नाथपुर। इन दिनों अवैध शराब बिक्री का गढ़ बन चुका है। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरे बालोद जिले में सबसे ज्यादा अवैध शराब यही बिक रही है। सुबह अगर यहां शराब की खाली बोतल शीशी की तलाश में आएंगे तो 500 से ज्यादा शीशियां निकल आएंगे। यह हम नहीं खुद खाली शीशियां खरीदने वाले दुकानदार बयां करते हैं। अगर रोज इतनी शराब खप रही है तो महीने में 20 लाख से अधिक का अवैध शराब इस गांव में बिक रहा है। 80 रुपये में मिलने वाली देसी शराब को गांव के शराब बेचने वाले 120 से 150 रुपए तक में बेच रहे हैं। इनके खरीददार भी सैकड़ों की संख्या में हैं। लगातार बढ़ती अवैध शराब बिक्री से गांव का माहौल काफी बिगड़ने लगा है। एक वक्त था जब गिने-चुने लोग इस कारोबार में उतरे थे। लेकिन अब मानो इस गांव में शराब बेचने वालों की बाढ़ सी आ गई है। ऐसा कोई मोहल्ला या गली नहीं है जहां के लोग शराब बेचने में संलिप्त नहीं है। हर मोहल्ले में दो-तीन लोग ऐसे जरूर निकलेंगे जो शराब बेचते हैं। ऐसा भी नहीं है कि उनकी करतूत कभी सामने नहीं आई है। 5 से 7 लोग ऐसे निगरानीशुदा शराब बेचने वाले पुलिस की पकड़ में आ भी चुके हैं लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो नए-नवेले इस कारोबार में आए हैं और पुलिस ने उन्हें पकड़ा भी है लेकिन उनके होश ठिकाने अब तक नहीं आए और कुछ तो ऐसे हैं जो पुलिस की आंखों के अलावा पंचायत प्रशासन को भी चकमा देकर खुलेआम शराब बेच रहे हैं। 1 दिन में अगर लगभग 500 पव्वा शराब बिक रही है और कीमत एक पव्वा के 120 रुपये माने तो प्रतिदिन यहां 60 हजार रुपए का कारोबार हो जाता है।

मेरी मजबूरी तुम क्या जानो...

कई वर्षो से शराब के कारोबार में संलिप्त एक व्यक्ति से जब हमने पूछा कि ऐसा क्यों करते हो, शराब नहीं बेचनी चाहिए तो व्यक्ति का जवाब भी अजब-गजब था। कहने लगा कि मेरे पास कोई काम नहीं था, काम ढूंढा मिल नहीं रहा था। तो क्या करता। मेरी मजबूरी है इसलिए शराब बेच रहा हूं और घर चला रहा हूं। शराब बेचने वाले का जवाब अगर ऐसा है तो क्या हर बेरोजगार यही काम करेगा? इस गांव में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पहले रोल आमलेट बेचा करते थे वे आज धंधा बंद कर शराब बेच रहे हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो अलग-अलग दुकान चला रहे हैं पर आड़ में शराब बेच रहे हैं।

डिक्की गिरोह हुआ सक्रिय

इस कारोबार को काफी चालाकी से अंजाम दिया जा रहा है। शराब बेचने वालों का एक डिक्की गिरोह बन चुका है। डिक्की यानी की बाइक की डिक्की में शराब रखते हैं और कहीं पर भी छुपा देते हैं और जब ग्राहक आते हैं तो उन्हें वे लाकर दे देते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो जेब में ही शराब रखे रहते हैं और ग्राहक आने के बाद किस्तों में बेचते जाते हैं। पुलिस की पकड़ में ना आए इसलिए कम स्टाक अलग-अलग जगह पर छुपाते हैं। इन दिनों गांव में धान कटाई के लिए दूसरे प्रांत से हार्वेस्टर वाले भी आए हुए हैं। इस वजह से अवैध शराब बिक्री भी और चरम पर है।

महीने में 18 से 20 लाख की अवैध शराब खप रही है। पंचायत प्रशासन भी इन अवैध शराब कारोबारियों से त्रस्त हो चुका है। स्वयं सरपंच अरुण साहू का कहना है कि मैं खुद कई बार एसपी, कलेक्टर और थाने तक जा चुका। पर कोई कार्यवाही नहीं होती। कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कुछ लोगों को पकड़ा गया लेकिन जमानत पर रिहा हो जाते हैं और कारोबार चलता रहता है। अवैध शराब बिक्री के मामले में आबकारी विभाग यानी शासन की शराब की सीमा का नियम कमजोर होना भी एक बड़ी वजह है। 16 पव्वा शराब एक व्यक्ति खरीद सकते हैं, लोग इसी सीमा का फायदा उठाते हैं और बेचने वाले खुद या फिर अन्य साथी को ले जाकर 16-16 पव्वा एक व्यक्ति के हिसाब से खरीद कर लाते हैं और उन्हीं को रोज का रोज अवैध रूप से खपाते हैं। पुलिस कभी उन्हें पकड़े तो उनके पास उनकी निर्धारित सीमा के अंदर ही शराब मिलती है तो कार्यवाही भी नहीं हो पाती और इसी के चलते शराब बेचने वाले के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। पर भावी पीढ़ी को यह बर्बाद भी कर रहे हैं। इसकी चिंता गांव के जागरूक लोगों को होने लगी है पर शासन प्रशासन का अपेक्षित सहयोग न मिलने से यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और देखते-देखते जगन्नाथपुर गांव जो अपने अच्छे कार्यों के लिए शुमार था, अब शराब बिक्री का गढ़ बन चुका है।

मैं खुद कई बार कर चुका शिकायत : ग्रापं जगन्नाथपुर के सरपंच अरुण साहू ने कहा कि मैं खुद पंचों व ग्रामीणों सहित कलेक्टर व एसपी के पास गया था। थाने में भी कई बार इसकी शिकायत कर चुका हूं। लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होती। कुछ लोग पूर्व में पकड़े भी गए हैं जो जमानत पर रिहा भी हो जाते हैं। अपने स्तर पर हम पूरा प्रयास करते हैं। बैठक में भी इस बात को उठाते हैं पर ग्रामीण ध्यान नहीं देते।

शराब बिक्री के यह प्रमुख ठिकाने

गांव में जिन लोगों के द्वारा शराब बेची जा रही है उनके द्वारा कुछ जगहों को प्रमुख ठिकाना भी बना लिया गया है। खासतौर से चौक पर शराब बेची जाती है। जहां बस स्टैंड है वहां पर शराब बेचने वाले सड़क पर खड़े होकर जेब में शराब रखें ग्राहकों को बेचते हैं। स्टॉक खत्म होने पर जहां छुपा कर रखे हैं वहां से लाकर दोबारा बेंचते हैं। सेलून के आसपास भी जमकर बिक्री होती है। कुछेक शराब बेचने वाले सांकरा और कमरौद रोड को भी अपना ठिकाना बनाया हुए हैं। ताकि उधर से आने वाले ग्राहकों को शराब उपलब्ध करा सके। कुछ है जो घरों में स्टाक रखे रहते हैं और किस्तों में लाकर बेचते हैं।

होगी कार्रवाई, कुछ होते हैं आदतन अपराधी

इस मामले में जिला आबकारी अधिकारी राजेश जायसवाल ने कहा कि आप के माध्यम से जानकारी मिल रही है। मामले में कार्यवाही करवाता हूं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आदतन शराब बेचते हैं, उन पर कितनी भी कार्रवाई करें नहीं सुधरते हैं। फिर भी मैं मामले को दिखाता हूं, कार्रवाई करेंगे।

ओवरलोड वाहन जब्त, पूर्व संसदीय सचिव के भाई का भी गाड़ी शामिल

नवप्रदेश में खबर प्रकाशित होने के बाद माइनिंग विभाग के अफसरों की खुली नींद

गंडई पंडरीया/नवप्रदेश। नगर से होकर ओवरलोडिंग वाहनों की आवाजाही बदस्तूर जारी है। गत दिनों नवप्रदेश ने इसे प्रमुखता से खबर प्रकाशित किया था। खबर प्रकाशित होने के बाद खनिज विभाग के अफसरों की नींद खुली और कार्रवाई करने में जुट गए। माइनिंग विभाग द्वारा सड़कों पर ओवरलोडिंग गाड़ियों की जांच की गई तो पूर्व संसदीय सचिव लाभचन्द बाफना के भाई अशोक बाफना के वाहन सहित अशोक लीलेंड की दो गाड़ियों में ओवरलोड मिलने पर जब्ती की गई। खनिज विभाग रेत, गिट्टी, मुरूम के अवैध परिवहन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। इस सत्र में अवैध परिवहन करते कई वाहनों को पकड़ा गया जिसमें से एक भी वाहन को कार्रवाई करने के लिए परिवहन विभाग को नहीं सौंपा। खनिज माफिया स्वीकृत खदानों के अलावा अवैध रूप से अन्य जगह भी अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर रहे हैं। यहां से रातभर बिना पिट पास के हाइवा, ट्रैक्टर समेत अन्य वाहनों में रेत का परिवहन होता है और बिना रायल्टी पर्ची के ओवरलोड गाड़ी सड़क पर दौड़ाए जा रहे।

नहीं करते कार्रवाई

रेत खनन माफियाओं को कुछ सफेदपोश नेताओं का सरंक्षण प्राप्त है। यही कारण है कि रेत का परिवहन करने वाले ओवहरलोड वाहनों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हाइवा वाहनों के माध्यम से यहां के रेत को अवैध रूप से दूसरे राज्यों में सप्लाई किया जा रहा है। इसके बाद भी खनिज विभाग इन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है।

> गंडई क्षेत्र में अवैध परिवहन करते दो गाड़ियां जब्त की गई है जिसे गंडई थाने की अभिरक्षा में रखा गया है। जब्त वाहनों पर अर्थदंड आरोपित किया जाएगा।
>
> **सुभाष साहू,** खनिज निरीक्षक राजनांदगांव

दो गाड़ियों की हुई जब्ती : खनिज विभाग द्वारा अवैध परिवहन कर रहे दो गाड़ियों की जब्ती की गई है। इसमें अशोक लिलैंड एक दस पहिए वाली गाड़ी जो अशोक बाफ ना की है जो ओवरलोडिंग रेत की सप्लाई कर रहा था। दूसरी गाड़ी बारह पहिये की जो सेमुय पाटिल की है। दोनों ही गाड़ियां बिना रायल्टी पर्ची की दौड़ रही थी तथा जिसमे गिट्टी का अवैध परिवहन किया जा रहा था। जब्त वाहनों को पुलिस अभिरक्षा में दिया गया है।

मकान मालिक की बिना अनुमति के दीवारों में लिखा तो देना होगा एक हजार जुर्माना

■ **संपति विरूपण निवारण अधिनियम का पालन कराने ''लोक सुरक्षा दस्ता'' का होगा गठन**

कांकेर/नवप्रदेश। छग राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा नगर पंचायत नरहरपुर आम निर्वाचन-2021 के लिए कार्यक्रम जारी करने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों के द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय, अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते हैं, बैनर लगाये जाते हैं, पोस्टर चिपकाये जाते हैं तथा विद्युत एवं टेलिफोन के खंभों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडियां लगाई जाती है, जिसके कारण शासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्दन कुमार द्वारा इस संबंध में छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 पारित किया गया है। जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कोई भी जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खंडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा। वह 1 हजार रूपये तक जुर्माने से दण्डनीय होगा। छग संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा-5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने यह आदेश जारी किया है कि चुनाव प्रचार के दौरान यदि विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी शासकीय एवं अशासकीय भवन की दिवालों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है, विद्युत एवं टेलीफोन के खंभों पर झंडिया लगाई जाती है अथवा ऐसे पोस्टर एवं बैनर लगाकर शासकीय संपत्तियों को विकृत किया जाता है तो ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिए चुनावी नारे मिटाने के लिए नगर पंचायत नरहरपुर क्षेत्र पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभागीय दण्डाधिकारी कांकेर द्वारा ''लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता'' तत्काल प्रभाव से टीम गठित की जावे। इस दस्ते में नगरीय निकाय, लोक निर्माण विभाग तथा राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा विद्युत विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को सम्मिलित किया जावे। आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में टीम गठित कर जिला निर्वाचन कार्यालय को अवगत करायें। यह ''लोक सुरक्षा संपत्ति दस्ता'' अनुविभागीय अधिकारी, दण्डाधिकारी के देखरेख में कार्य करेगा। टीम सघन भ्रमण कर विरूपित संपत्ति को संपत्ति विरूपण करने वाले के व्यय पर पूर्व स्वरूप में लायेगी तथा टीम द्वारा सम्पत्ति विरूपण करने वाले तत्वों के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत एफआई.आर. दर्ज कर कार्यवाही की जावेगी। यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी के लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना दर्ज कराने के बाद गठित टीम निजी संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं संबंधित थाना प्रभारी प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार किसी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभागीय दण्डाधिकारी कांकेर लोक संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेंगे तथा शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाये जाने पर लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेंगे तथा विरूपित संपत्ति की फोटोग्राफी, विडियोग्राफी करायेगी। उपरोक्त संबंध में की गई कार्यवाही विवरण को दैनिक प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे।

पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ का जिला स्तरीय संगठन का गठन

नगरी/नवप्रदेश। पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ विगत कई वर्षों से अपने संवैधानिक अधिकार व विभिन्न मांगों को लेकर शासन से लड़ाई लड़ रहा है लेकिन पिछड़ा वर्ग समाज आज ठगा सा महसूस कर रहा है। आगे और लड़ाई लड़ने के लिए व संगठन को मजबूती बनाने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में लोगो को संगठित करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश साहू के आदेशानुसार, प्रदेश संरक्षक लीलाराम साहू के सहमति से धमतरी जिलाध्यक्ष अंगेश हिरवानी के निर्देशन में व जिला संगठन प्रभारी घनाराम साहू के अनुशंसा पर धमतरी जिला स्तर पर संगठन का विस्तार किया गया जिसमें जिला महासचिव महावीर साहू ग्राम-खरतुली, जिला उपाध्यक्ष रामनिहोरा निषाद, वेदराम साहू घठुला नगरी, डॉ. खोमलाल रुद्री, देव नारायण साहू धमतरी ब्लॉक महासचिव, ब्लॉक अध्यक्ष धमतरी पुष्कल साहू, लालचंद पटेल कुरूद ब्लॉक अध्यक्ष, नगरी तहसील अध्यक्ष बृज लाल साहू व तहसील महासचिव शेषनारायण साहू, पूरन साहू धमतरी ब्लॉक कोषाध्यक्ष, कल्याण निर्मलकर मड़ाई भाठा भखारा ब्लॉक अध्यक्ष, शत्रुघन सिन्हा ग्राम चिखली, उत्तम साहू नगरी मीडिया प्रभारी, कोर कमेटी सदस्य में मुख्य रूप से अनिल कपूरिया, रुद्री, बिसम्बर साहू ग्राम माटेगहन एवं मंशा राम साहू रुद्री, रोमन लाल पटेल, गोवर्धन यादव ग्राम पाण्डरवाही नगरी, वामदेव कौशल ग्राम घठुला, अंजोर सिंह निषाद हीरापुर, डिकेश्वर सिन्हा सांकरा, बीडी मानिकपुरी उमरगांव नगरी को मनोनयन किया गया। इन सभी की नियुक्ति पर प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश साहू, संरक्षक लीलाराम साहू, प्रदेश सहसचिव देवेंद्र सेन, जिलाध्यक्ष अंगेश हिरवानी व संगठन प्रभारी घना राम साहू, महामंत्री कीर्तन मिनपाल ने उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई दी।

गृह मंत्री के निवास कार्यालय में मनाया गया संविधान दिवस

■ **अधिकारियों-कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना का किया सामूहिक पठन**

रायपुर। संविधान दिवस के अवसर शुक्रवार सुबह 11 बजे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के नेतृत्व में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पठन किया गया। गृह मंत्री ने अपने निवास कार्यालय में सभी अधिकारियों कर्मचारियों को संविधान की मूल भावना के अनुरूप जनहित में काम करने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर विशेष सहायक कैलाश वर्मा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी दिव्या वैष्णव, निज सहायक डीके साहू सहित सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि आज के ही दिन 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था।

जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड के धोबीटोला आयरन एवं खदान को मिला 'फाइव स्टार रेटिंग' अवार्ड

■ **कंपनी के संयुक्त प्रबंध संचालक रमेश जायसवाल केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के हाथों हुए सम्मानित**

रायपुर। जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के धोबीटोला आयरन एवं खदान को भारत सरकार खान मंत्रालय ने 'फाइव स्टार रेटिंग' प्रदान कर सर्वश्रेष्ठ मानवीयकृत खदान घोषित किया है। नई दिल्ली में खान एवं खनिज पर आयोजित 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान कंपनी के संयुक्त प्रबंध संचालक रमेश जायसवाल को भारत सरकार के कोयला, खान और संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। कंपनी के लगातार 2 वर्षों (2018-19 एवं 2019-20) तक शानदार प्रदर्शन के साथ सतत विकास के लिए 'फाइव स्टार रेटिंग' प्राप्त हुई है। इस अवसर पर खदान के एजेंट नितिन वाट भी साथ थे।

इस बेहतरीन उपलब्धि के लिए सभी का धन्यवाद करते हुए कंपनी के संयुक्त प्रबंध संचालक जायसवाल ने कहा कि यह हमारे सिद्धांतों और मूल्यों का प्रतिफल है। हमारे साथ जुड़े सभी सहयोगियों और अधिकारी-कर्मचारियों की मेहनत का नतीजा है, जिसके लिए हमें इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई। भारत सरकार खान मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि हम खनन के प्रत्येक चरण में प्रौद्योगिकी का उपयोग कर विवेकपूर्ण रूप से कार्य करते आए हैं। हमारा वर्तमान ध्यान डिजिटलीकरण और स्मार्ट समाधानों पर है, जिसका उद्देश्य हमारे हितग्राहियों को बेहतर से बेहतर उत्पादन प्रदान करना है। यह पुरस्कार नियमों के अनुरूप हमारी सतत खनन प्रथाओं का प्रमाण है, जो निरंतर विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धताओं को और मजबूत बनाएगा।

ज्ञात हो खान मंत्रालय ने सतत विकास ढांचे (एसडीएफ) के कार्यान्वयन, प्रयासों एवं पहल के लिए 2016 में खनन पट्टा मालिकों को पुरस्कृत करने हेतु 'खानों की स्टार रेटिंग' देने की योजना तैयार की थी। इसके तहत खानों को निर्धारित प्रावधानों के आधार पर एक से पांच स्टार रेटिंग दी जाती है। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले पट्टों को 'फाइव स्टार रेटिंग' मिलती है।

एनसीसी और एनएसएस विंग के विद्यार्थी नशामुक्ति के लिए करेंगे जागरूक

रायपुर। प्रदेश में शराब व्यसन मुक्ति अभियान की भारत माता वाहिनी योजना के तहत गठित राज्य स्तरीय समिति ने निर्णय लिया है कि महाविद्यालयों के एनसीसी और एनएसएस विंग के विद्यार्थी नशामुक्ति के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। इसके लिए जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर द्वारा विद्यार्थियों को नशामुक्ति प्रचार-प्रसार के संबंध में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके साथ ही भारत माता वाहिनी के नशामुक्ति अभियान के प्रचार-प्रसार कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की सहभागिता ली जाएगी। इस संबंध में समाज कल्याण संचालनालय से सभी विभागीय जिला कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा शराब व्यसन मुक्ति अभियान के तहत तीन वर्ष के लिए भारत माता वाहिनी का गठन किए जाने के निर्देश जिला अधिकारियों को दिए गए हैं।